
परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)
(संदर्भ: प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

क.	सामान्य आंकड़े		
स.क्र.	विवरण		आंकड़े
1	क्षेत्र		3,08,245 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	6.03 करोड़
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	7.26 करोड़
3	क.	जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
	ख.	जनसंख्या ⁵⁴ का घनत्व (2011 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
4	गरीबी रेखा ⁵⁵ से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.90 प्रतिशत)		31.70 प्रतिशत
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)	69.69 प्रतिशत
	ख.	साक्षरता ⁵⁶ (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	69.30 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर ⁵⁷ (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत = 34 प्रति 1000 जीवित बच्चे) (2016)		47 प्रति 1000 जीवित बच्चे
7	जन्म ⁵⁸ के समय जीवित रहने की आशा (अखिल भारतीय औसत 2011–15 में = 68.30 वर्ष)		64.80 वर्ष
8	मानव विकास सूचकांक ⁵⁹ (क. 1999–2000 = 0.387) (ख. 2007–2008 = 0.467)		0.375 (इंके–20)
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017–18 चालू मूल्य पर		₹ 7,07,047 करोड़
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017–18 स्थिर मूल्य पर		₹ 4,99,102 करोड़
11	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2008–09 से 2017–18)	मध्य प्रदेश सामान्य संवर्ग के राज्य	13.50 प्रतिशत 13.10 प्रतिशत
12	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2008–09 से 2017–18)	मध्य प्रदेश सामान्य संवर्ग के राज्य	15.20 प्रतिशत 14.50 प्रतिशत
13	जनसंख्या वृद्धि दर ⁶⁰ (2008–09 से 2017–18)	मध्य प्रदेश सामान्य संवर्ग के राज्य	14.70 प्रतिशत 11.60 प्रतिशत
ख.	वित्तीय आंकड़े		

संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर	विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)			
		2008–09 से 2016–17		2016–17 से 2017–18	
		सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश	सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश
क.	राजस्व प्राप्तियों के स्वयं के कर राजस्व के	15.10	17.66	11.30	9.38
ख.	स्वयं के कर राजस्व के	14.90	15.86	12.20	1.40
ग.	करेतर राजस्व के	9.50	13.31	5.90	-0.28
घ.	कुल व्यय के	15.80	18.86	4.70	7.21
ङ.	पूँजीगत व्यय के	14.00	19.16	1.0	13.28
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय के	14.50	20.07	6.2	11.87
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय के	16.20	19.32	10.70	19.22
ज.	वेतन एवं मजदूरी के	13.40	12.27	8.90	11.35
झ.	पेंशन के	16.20	17.42	22.90	5.65

(स्रोत: वित्तीय आंकड़े संबंधित वर्षों के वित्त लेखे पर आधारित हैं)

⁵⁴ अंतिम कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार

⁵⁵ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खण्ड II, पृष्ठ ए 160-161

⁵⁶ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खण्ड II, पृष्ठ ए 155

⁵⁷ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खण्ड II, पृष्ठ ए 151

⁵⁸ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खण्ड II, पृष्ठ ए 151

⁵⁹ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), खण्ड II, पृष्ठ ए 161

⁶⁰ भारत एवं राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2001–2026 (पुनरीक्षित दिसम्बर 2006) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या प्रक्षेपण

पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट तालिका 14 (1 अक्टूबर 2001–2026 को लिंग अनुसार कुल आबादी का प्रक्षेपण)

परिशिष्ट 1.2 (भाग—क)
सरकारी लेखों की संरचना
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है यथा—समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा।

भाग I समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को जारी कर लिए गए सभी ऋण, आन्तरिक ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में शासन द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ एक समेकित निधि का निर्माण करती हैं जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की समेकित निधि” नाम से जाना जाता है।

भाग II आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि अग्रदाय प्रकृति की होती हैं जो विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अनवेक्षित व्यय करने के लिये अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती हैं। बाद में इस प्रकार के व्यय हेतु तथा समतुल्य राशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III लोक लेखा: प्राप्ति एवं संवितरण से संबंधित कुछ लेन—देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उच्चत, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं और राज्य विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।

परिशिष्ट 1.2 (भाग—ख)
वित्त लेखों की रूपरेखा
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

वित्त लेखे दो भागों में तैयार किये जाते हैं जिसके भाग—1 सरकार के संक्षिप्त वित्तीय विवरण और भाग—2 इनके विस्तृत विवरण प्रदर्शित करता है। रूपरेखा का विवरण नीचे दिया गया है। आगे, भाग—2 में मुख्य शीर्षवार वेतन एवं राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय, राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहायता एवं सहायता अनुदान, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें, आयोजनागत योजना पर व्यय, केन्द्रीय योजना निधियों का क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष अंतरण, शेषों का सारांश, सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम, बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं में लागू मुख्य नीतिगत निर्णय और अनुरक्षण व्यय जो कि विभिन्न परिशिष्टों में आये हैं, के विवरण समाहित है।

विवरण क्रमांक	संक्षिप्त एवं विस्तृत विवरण
1	वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण पत्रक
3	प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)
4	व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)
5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण पत्रक
6	उधारियों एवं अन्य देयताओं का विवरण पत्रक
7	सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिमों का विवरण पत्रक
8	सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक
9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक
10	सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदान का विवरण पत्रक
11	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक
12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्त्रोतों और अनुप्रयोग का विवरण पत्रक
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों के सारांश का विवरण पत्रक
14	राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
16	पूँजीगत व्यय का लघु शीर्ष एवं उप शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक
18	राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक
20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण पत्रक
21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन—देनों का विस्तृत विवरण पत्रक
22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण पत्रक

परिशिष्ट 1.2 (भाग—ग)

चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्याकांन में किया गया है, की परिभाषा
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

शब्द	गणना का आधार
मापदण्डों की उत्प्लावकता	मापदण्ड की संवृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर
मापदण्ड (X) की अन्य मापदण्ड (Y) के सन्दर्भ में उत्प्लावकता	मापदण्ड (X) की संवृद्धि दर/मापदण्ड (Y) की संवृद्धि दर
संवृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि}/\text{विगत वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[$(\text{पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं})/2$]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल कर्ज तथा अग्रिम – राजस्व प्राप्तियां – विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा–ब्याज अदायगियां

परिशिष्ट 1.3

वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ समग्र राजकोषीय स्थिति का सार
(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
2016–17		2017–18	2016–17		2017–18
भाग—क: राजस्व					
1,23,306.79	I.	राजस्व प्राप्तियाँ	1,34,875.39	1,19,537.37	राजस्व व्यय
44,193.65		कर राजस्व	44,810.85	27,903.12	सामान्य सेवाएं
				47,942.43	सामाजिक सेवाएं
9,086.51		करेतर राजस्व	9,061.18	21,143.64	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति
46,064.10		संघ करों में राज्य का भाग	50,853.07	5,375.57	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
5,472.39		आयोजनेतर अनुदान	4,408.12	11,182.25	जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास
17,701.96		राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	23,163.80	341.50	सूचना एवं प्रसारण
788.18		केंद्रीय तथा केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिए अनुदान	67.37	3,095.05	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
		राज्य के लिये अन्य अनुदान	2,511.00	290.53	श्रम तथा श्रमिक कल्याण
				6,332.86	समाज कल्याण एवं पोषण
				181.03	अन्य
				36,884.73	आर्थिक सेवाएं
				10,311.12	कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप
				8,817.65	ग्रामीण विकास
				687.61	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण
				12,476.20	ऊर्जा
				2,846.94	उद्योग एवं खनिज
				1,244.95	परिवहन
				223.96	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण
				276.30	सामान्य आर्थिक सेवाएं
				6,807.09	सहायता अनुदान एवं अंशदान
1,23,306.79	II.	भाग ख में अग्रेनित राजस्व घाटा		3,769.42	भाग ख में अग्रेनित राजस्व अधिशेष
		योग	1,34,875.39	1,23,306.79	योग
					1,34,875.39

भाग—ख: अन्य

प्राप्तियाँ			संवितरण		
2016–17			2016–17		
2016–17	III	प्रारम्भिक नकद शेष स्थानी अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित	2017–18	2016–17	2017–18
10,898.72	III	प्रारम्भिक नकद शेष स्थानी अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित	10,993.66	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक अधिविकर्ष	
24.19	IV	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	19.35	27,288.31	पूँजीगत परिव्यय
				697.84	सामान्य सेवाएं
				3,285.16	सामाजिक सेवाएं
				736.97	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति
				564.69	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
				1,111.63	जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास
				--	सूचना एवं प्रसारण
				549.83	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
				203.85	समाज कल्याण एवं पोषण
				118.19	अन्य सामाजिक सेवाएं
				23,305.31	आर्थिक सेवाएं
				693.31	कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप
				3,169.35	ग्रामीण विकास
				8,470.50	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
				4,666.56	ऊर्जा
				1,515.34	उद्योग एवं खनिज
				4,671.99	परिवहन
				5.00	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण
				113.26	सामान्य आर्थिक सेवाएं
772.05	V	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	5,069.53	4,940.27	संवितरित कर्ज तथा अग्रिम
				3,162.56	बिजली परियोजनाओं के लिए
				1,187.07	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिये
				513.29	उद्योग तथा खनिज के लिये
-7.33		सरकारी कर्मचारियों से	0.01	0.10	सरकारी कर्मचारियों को
779.38		अन्यों से	5,069.52	77.25	अन्यों को
0.01	VI	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	-0.05	0.66	अन्तर्राज्यीय परिशोधन
					-0.01

प्राप्तियाँ			संवितरण		
2016–17			2017–18	2016–17	2017–18
3,769.42	VII	अधोनीत राजस्व अधिशेष	4,629.30	--	अधोनीत राजस्व घाटा
29,847.41	VIII	लोक ऋण प्राप्तियाँ	21,892.17	4,925.41	लोक ऋण का पुनर्भुगतान
28,580.74		अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण	19,975.36	3,907.83	अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण
--		अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन-देन	--	--	अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन-देन
--		अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन-देन	--	--	
12,66.67		केंद्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,916.81	1,017.58	केंद्र सरकार को कर्ज तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान
--	IX	आकस्मिकता निधि को विनियोग	--	--	आकस्मिकता निधि को विनियोग
--	X	आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि	--	--	आकस्मिकता निधि से व्यय
1,61,078.58	XI	लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,71,664.83	1,58,242.07	लोक लेखा संवितरण
3,486.38		अल्प बचतें तथा भविष्य निधियाँ	3,416.80	2,673.71	अल्प बचतें तथा भविष्य निधियाँ
3,701.34		आरक्षित निधियाँ	2,257.81	4,199.61	आरक्षित निधियाँ
1,08,731.65		उचंत तथा विविध	1,23,314.51	1,09,573.88	उचंत तथा विविध
18,063.48		प्रेषण	17,659.89	18,135.36	प्रेषण
27,095.73		जमा एवं अग्रिम	25,015.83	23,659.51	जमा एवं अग्रिम
	XII	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम अधिविकर्ष		10,993.66	वर्ष के अन्त में रोकड़ शेष
				--	खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण
				-52.99	रिजर्व बैंक में जमा
				2.01	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष
				11,044.64	रोकड़ शेष निवेश तथा उद्दिष्ट निधियों से निवेश
2,06,390.38		योग	2,14,268.79	2,06,390.38	योग
					2,14,268.79

(चोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

⁶¹ मार्च 2018 के लेखाओं के बंद होने पर “भारतीय रिजर्व बैंक में जमा” के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 693.65 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 699.83 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में ₹ 6.18 करोड़ (नामे) का अन्तर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अन्तर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन-देनों की गलत रिपोर्टिंग है।

परिशिष्ट 1.4
2017–18 हेतु बजट अनुमानों की वास्तविकता से तुलना
(bसंदर्भ: कंडिका 1.1.3; पृष्ठ 6)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक	अधिक / कमी (-)	(₹ करोड़ में) अधिक / कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4 (3-2)	5
राजस्व प्राप्तियाँ, जिसमें	1,39,115.67	1,34,875.39	-4,240.28	-3.05
स्वयं के कर राजस्व	50,295.21	44,810.85	-5,484.36	-10.90
राज्य माल एवं सेवा कर	0.00	8,696.12	8,696.12	0.00
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	25,910.00	14,984.04	-10,925.96	-42.17
राज्य उत्पाद शुल्क	8,600.00	8,245.01	-354.99	-4.13
वाहन कर	2,550.00	2,691.62	141.62	5.55
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4,300.00	4,788.51	488.51	11.36
माल तथा यात्री कर	4,010.00	1,159.30	-2,850.70	-71.09
भू-राजस्व	700.00	490.99	-209.01	-29.86
अन्य कर	4,225.21	3,755.26	-469.95	-11.12
करेतर राजस्व	11,679.74	9,061.18	-2,618.56	-22.42
ब्याज प्राप्तियाँ	530.00	639.11	109.11	20.59
विविध सामान्य सेवाएं	212.00	54.11	-157.89	-74.48
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	3,700.00	3,640.72	-59.28	-1.60
अन्य करेतर राजस्व	7,237.74	4,727.24	-2,510.50	-34.69
संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	51,106.32	50,853.07	-253.25	-0.50
भारत सरकार से सहायता अनुदान	26,034.40	30,150.29	4,115.89	15.81
राजस्व व्यय, जिसमें	1,34,519.27	1,30,246.09	-4,273.18	-3.18
सामान्य सेवाएं	36,699.64	32,100.08	-4,599.56	-12.53
सामाजिक सेवाएं	56,411.27	58,346.18	1,934.91	3.43
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	25,177.17	23,653.44	-1,523.73	-6.05
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6,788.20	6,408.88	-379.32	-5.59
जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	11,815.30	17,317.45	5,502.15	46.57
सूचना एवं प्रसारण	255.77	343.50	87.73	34.30
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,010.80	3,356.73	-654.07	-16.31
श्रम एवं श्रमिक कल्याण	588.22	356.04	-232.18	-39.47
समाज कल्याण एवं पोषण	7,510.73	6,657.75	-852.98	-11.36
अन्य	265.08	252.39	-12.69	-4.79
आर्थिक सेवाएं	33,909.47	32,734.59	-1,174.88	-3.46
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	11,174.12	11,928.16	754.04	6.75
ग्रामीण विकास	8,178.25	6,820.58	-1,357.67	-16.60
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	926.35	645.33	-281.02	-30.34
ऊर्जा	9,108.74	9,753.26	644.52	7.08
उद्योग एवं खनिज	2,496.39	1,959.95	-536.44	-21.49
परिवहन	1,457.32	1,102.25	-355.07	-24.36
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	235.75	212.27	-23.48	-9.96
सामान्य आर्थिक सेवाएं	332.55	312.79	-19.76	-5.94
सहायता अनुदान एवं अंशदान	7,498.88	7,065.24	-433.64	-5.78
पूँजीगत व्यय, जिसमें	31,412.02	30,913.22	-498.80	-1.59
सामान्य सेवाएं	922.36	742.58	-179.78	-19.49
सामाजिक सेवाएं	6,753.12	5,358.38	-1,394.74	-20.65
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	1,956.70	688.34	-1,268.36	-64.82
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,195.05	1,039.87	-155.18	-12.99
जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	2,187.11	2,364.24	177.13	8.10
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े	1,098.54	1,061.28	-37.26	-3.39

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक	अधिक/ कमी (-)	अधिक/ कमी (-) प्रतिशत में
वगैं का कल्याण				
समाज कल्याण एवं पोषण	198.18	118.16	-80.02	-40.38
अन्य सामाजिक सेवाएं	117.54	86.49	-31.05	-26.42
आर्थिक सेवाएं	23,736.53	24,812.26	1,075.73	4.53
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	444.10	396.32	-47.78	-10.76
ग्रामीण विकास	2,458.23	2,186.54	-271.69	-11.05
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	9,402.04	7,973.14	-1,428.90	-15.20
ऊर्जा	5,676.10	7,479.57	1,803.47	31.77
उद्योग एवं खनिज	103.73	258.28	154.55	148.99
परिवहन	5,556.78	6,400.35	843.57	15.18
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	4.00	4.00	0.00	0.00
सामान्य आर्थिक सेवाएं	91.55	114.06	22.51	24.59
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)	4,596.40	4,629.30	32.90	0.72
राजकोषीय घाटा (-)	-25,688.97	-22,745.28	2,943.69	-11.46
प्राथमिक अधिशेष (+)/घाटा (-)	-14,148.24	-11,699.94	2,448.30	-17.30

(स्रोत: वित्त लेखे तथा बजट पुस्तिकार्य 2017–18)

परिशिष्ट 1.5
राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े
(संदर्भ: कंडिका 1.2.2; पृष्ठ 10)

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	75,749	88,641	1,05,511	1,23,307	1,34,875
(i) कर राजस्व	33,552(44)	36,567(41)	40,214(38)	44,194(36)	44,811(33)
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
राज्य माल एवं सेवा कर	--	--	--	--	8,696 (19)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	16,650(50)	18,136(50)	19,806(49)	22,561(51)	14,984(33)
राज्य उत्पाद शुल्क	5,907(18)	6,695(18)	7,923(20)	7,533(17)	8,245(18)
वाहन कर	1,599(5)	1,824(5)	1,933(5)	2,252(5)	2,692(6)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,400(10)	3,893(11)	3,868(10)	3,925(9)	4,789(11)
भू—राजस्व	366(1)	243(1)	277(1)	407(1)	491(1)
माल तथा यात्री कर	2,579(8)	2,686(7)	3,085(8)	3,805(9)	1,159(3)
अन्य कर	3,051(9)	3,090(8)	3,322(8)	3,711(8)	3,755(8)
(ii) करेतर राजस्व	7,705(10)	10,375(12)	8,569(8)	9,086(7)	9,061(7)
(iii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	22,715(30)	24,107(27)	38,398(37)	46,064(37)	50,853(38)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	11,777(16)	17,592(20)	18,330(17)	23,963(20)	30,150(22)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	36	28	26	24	19
2क. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2	1	2	0	0
3. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	93	6,765	162	772	5,070
4. कुल राजस्व तथा ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+2क+3)	75,880	95,435	1,05,701	1,24,103	1,39,964
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	9,541	15,069	19,985	29,847	21,892
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष छोड़कर)	8,328	13,696	18,659	28,581	19,975
अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,212	1,372	1,326	1,266	1,917
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	85,421	1,10,504	1,25,686	1,53,950	1,61,856
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	--	300	--	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	94,811	1,10,295	1,32,772	1,61,079	1,71,665
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	1,80,232	2,21,099	2,58,458	3,15,029	3,33,521
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	69,870(81)	82,373(77)	99,771(83)	1,19,537(79)	1,30,246(80)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	20,591(29)	22,365(27)	25,700(26)	27,903(23)	32,100(25)
सामाजिक सेवाएं	27,768(40)	32,067(39)	42,651(43)	47,942(40)	58,346(45)
आर्थिक सेवाएं	16,972(24)	23,715(29)	25,529(25)	36,885(31)	32,735(25)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	4,539(7)	4,226(5)	5,891(6)	6,807(6)	7,065(5)
11. पूंजीगत व्यय	10,813(13)	11,878(11)	16,835(14)	27,288(18)	30,913(19)
सामान्य सेवाएं	197(2)	258(2)	549(3)	698(3)	743(3)
सामाजिक सेवाएं	1,899(17)	2,070(18)	3,024(18)	3,285(12)	5,358(17)
आर्थिक सेवाएं	8,717(81)	9,550(80)	13,262(79)	23,305(85)	24,812(80)
12. कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण	5,077(6)	12,535(12)	3,158(3)	4,941(3)	1,550(1)
13. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2	1	2	1	0
14. कुल व्यय (10+11+12+13)	85,762	1,06,787	1,19,766	1,51,767	1,62,709
15. लोक ऋण का पुनर्गतान	4,005	4,921	4,860	4,925	5,776
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों को छोड़कर)	3,243	4,084	3,948	3,908	4,683
अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	762	837	912	1,017	1,093
16. आकस्मिकता निधि में विनियोग	--	300	--	--	--
17. समेकित निधि में से कुल संवितरण (14+15+16)	89,767	1,12,008	1,24,626	1,56,692	1,68,485
18. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	1	--	--	--
19. लोक लेखा संवितरण	93,064	1,08,165	1,28,337	1,58,242	1,68,893
20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)	1,82,831	2,20,174	2,52,963	3,14,934	3,37,378
भाग ग. घाटे					
21. राजस्व घाटा(−)/राजस्व अधिशेष(+) (1-10)	5,879	6,268	5,740	7,781 ⁶²	4,629
22. राजकोषीय घाटा(−)/राजकोषीय अधिशेष(+)(4-14)	-9,882	-11,352	-14,065	-20,304 ⁶³	-22,745
23. प्राथमिक घाटा(−)/अधिशेष(+)(22+24)	-3,491	-4,281	-5,974	-11,225 ⁶⁴	-11,700
भाग घ. अन्य आंकड़े					
24. ब्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	6,391	7,071	8,091	9,079	11,045
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	14,953	18,668	22,656	32,379	36,462
26. ली गई अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
ली गई अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	--	--	--	--	--
लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
27. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	--	--	--	--	--
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद ⁶⁵	4,39,483	4,80,121	5,30,443	6,39,220	7,07,047
29. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	96,826	1,08,688	1,27,144	155800	1,72,363
30. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	9,978	20,124	27,530	33,397	14,003
31. प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	21,472	31,885	40,171	40,395	31,653
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	201	68	91	242	-
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	34,465	14,344	15,477	8,607	-
भाग छ. राजकोषीय स्थिति संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.63	7.62	7.58	6.91	6.34
स्वयं के करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.75	2.16	1.62	1.42	1.28
केन्द्रीय अंतरण ⁶⁶ / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.85	8.69	10.69	10.96	11.46
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्पादकता (प्रतिशत)	0.78	1.89	1.91	1.70	6.70
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.51	22.24	22.58	23.74	23.01
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	113.22	120.47	113.51	123.08	120.64
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	81.47	77.14	83.30	78.76	80.05

⁶² उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर राजस्व अधिशेष ₹ 3,770 करोड़⁶³ उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर राजकोषीय घाटा ₹ 27,664 करोड़⁶⁴ उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर प्राथमिक घाटा ₹ 18,585 करोड़⁶⁵ वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिये सरकार द्वारा सूचित संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया⁶⁶ केन्द्रीय अंतरण में संघ करों/शुल्क का भाग एवं भारत सरकार से अनुदान समाविष्ट है

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सामान्य सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	24.24	21.18	21.93	18.85	20.28
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	34.67	31.98	38.16	33.80	39.28
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	35.79	42.88	34.99	42.86	36.10
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	12.61	11.12	14.06	17.98	19.00
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	12.37	10.88	13.60	17.52	18.54
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा(-) / अधिशेष(+) / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.34	1.31	1.08	1.22	0.65
राजकोषीय घाटा(-) / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-2.25	-2.36	-2.65	-3.18	-3.22
प्राथमिक घाटा(-) / अधिशेष(+) / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-0.79	-0.89	-1.13	-1.76	-1.65
राजस्व घाटा / राजकोषीय घाटा	NA	NA	NA	NA	NA
प्राथमिक राजस्व शेष / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	14.44	15.68	17.28	17.28	16.86
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	22.03	22.64	23.97	24.37	24.38
राजकोषीय देयताएं / राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	127.82	122.62	120.50	126.35	127.79
V अन्य राजकोषीय संकेतक					
निवेश पर प्रतिलाभ (कोष्ठक में प्रतिशत)	378.72 (2.48)	80.35 (0.49)	129.64 (0.78)	231.50 (1.02)	622.36 (2.05)
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ / देयताएं	0.63	0.62	0.63	0.68	0.67

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के योगों की तुलना में प्रतिशतता (पूर्णांक में) प्रदर्शित करते हैं।

परिशिष्ट 1.5 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

- उपरोक्त दिए गए विवरण पत्रों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखे में दी गयी टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जायें। सरकारी लेखे मुख्य रूप से रोकड़ के आधार पर होने के कारण परिशिष्ट 1.3 में दर्शाएं अनुसार सरकारी लेखाओं में घाटा वाणिज्यिक लेखाकरण में उपार्जन के आधार के विपरीत रोकड़ के आधार पर स्थिति इंगित करते हैं। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य मर्दें अथवा प्राप्ति योग्य मर्दें अथवा मर्दें जैसे मूल्य हास या स्टॉक में भिन्नता आदि के आंकड़े लेखाओं में नहीं दिए गए हैं। उचन्ता तथा विविध शेषों में जारी किये गये किन्तु भुगतान न किए गए चैक राज्य की ओर से किए गए भुगतान एवं अन्य लम्बित निपटारे आदि सम्मिलित हैं।
- मार्च 2018 के लेखाओं के बंद होने पर “भारतीय रिजर्व बैंक में जमा” के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 693.65 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 699.83 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में ₹ 6.18 करोड़ (नामे) का अन्तर था। रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत अन्तर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन-देनों की गलत रिपोर्टिंग है।
- लागू नहीं क्योंकि राज्य ने 2004-05 से वर्तमान तक राजस्व अधिशेष बनाए रखा है।

परिशिष्ट 1.6

(क) स्वयं के कर राजस्व 2013–18
(संदर्भ: कंडिका 1.2.2.1; पृष्ठ 11)

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
राज्य माल एवं सेवा कर	-	-	-	-	-	8,696
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	16,650	18,136	19,806	22,561	25,910	14,984
राज्य उत्पाद शुल्क	5,907	6,695	7,923	7,533	8,600	8,245
वाहन कर	1,599	1,824	1,933	2,252	2,550	2,692
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,400	3,893	3,868	3,925	4,300	4,789
भू-राजस्व	366	243	277	407	700	491
माल तथा यात्री पर कर	2,579	2,686	3,085	3,805	4,010	1,159
अन्य कर	3,051	3,090	3,322	3,711	4,225	3,755
योग (क)	33,552	36,567	40,214	44,194	50,295	44,811

(चोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट पुस्तिकार्य 2017–18)

(ख) करेतर राजस्व 2013–18

(संदर्भ: कंडिका 1.2.2.1; पृष्ठ 11)

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ	697	1,341	559	813	818	1,261
सामान्य सेवाएं	598	594	1,279	664	853	516
सामाजिक सेवाएं	2,197	3,696	1,784	2,338	3,755	1,609
आर्थिक सेवाएं	4,213	4,744	4,947	5,271	6,254	5,675
योग (ख)	7,705	10,375	8,569	9,086	11,680	9,061
महायोग (क+ख)	41,257	46,942	48,783	53,280	61,975	53,872

(चोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट पुस्तिकार्य 2017–18)

परिशिष्ट 1.7
31 मार्च 2018 को विभिन्न विभागों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं की स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 1.4.5; पृष्ठ 26)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	कुल परियोजनाएं		योजना/पाईप लाइन के अंतर्गत		निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत		लागू होने/निर्माण के अंतर्गत		पूर्ण परियोजनाएं	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	पशुपालन	2	93.14	2	93.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	7	1,082.18	4	786.08	1	78.52	2	217.58	0	0.00
3	ऊर्जा	3	382.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	382.70
4	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1	138.50	0	0.00	0	0.00	1	138.50	0	0.00
5	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2	374.92	0	0.00	1	125.00	0	0.00	1	249.92
6	वन	4	196.68	1	130.00	1	50.00	1	15.68	1	1.00
7	उद्यानिकी	3	334.69	1	223.19	2	111.50	0	0.00	0	0.00
8	आवास एवं पर्यावरण	3	47.00	1	45.00	0	0.00	0	0.00	2	2.00
9	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	67.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	67.00
10	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	5	1,185.13	5	1,185.13	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	लोक निर्माण कार्य	127	14,553.14	2	362.77	7	32.47	30	5,429.74	88	8,728.16
12	खेलकूद एवं युवा कल्याण	1	900.00	0	0.00	0	0.00	1	900.00	0	0.00
13	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	3	331.30	1	176.30	0	0.00	2	155.00	0	0.00
14	पर्यटन	3	35.00	1	15.00	2	20.00	0	0.00	0	0.00
15	परिवहन	1	1,094.00	0	0.00	0	0.00	1	1,094.00	0	0.00
16	नगरीय प्रशासन एवं विकास	31	2,828.31	21	2,385.76	1	13.94	4	145.83	5	282.78
	योग	197	23,643.69	39	5,402.37	15	431.43	42	8,096.33	101	9,713.56

(चोत: संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा प्रदायित जानकारी)

परिशिष्ट 1.8**31 मार्च 2018 को मध्य प्रदेश सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति**
(संदर्भ: कंडिका 1.5.1; पृष्ठ 27)

(₹ करोड़ में)

31.03.2017 की स्थिति में	देयताएं	31.03.2018 की स्थिति में
1,08,391.34	आन्तरिक ऋण—	1,23,683.16
70,691.25	ब्याज सहित बाजार कर्ज	83,816.25
0.39	ब्याज रहित बाजार कर्ज	0.39
52.75	भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	43.07
16,199.64	अन्य संरथाओं से कर्ज	17,028.19
21,447.31	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	22,795.26
निरंक	अर्थोपाय पेशागियां (प्रदत्त ब्याज सहित)	निरंक
निरंक	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	निरंक
13,917.10	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम—	14,741.06
1.88	1984–85 से पूर्व के कर्ज	1.88
35.51	आयोजनेतर कर्ज	31.88
13,879.71	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	14,707.30
--	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
--	केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
500.00	आकस्मिकता निधि	500.00
14,493.19	अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	14,331.30
11,781.18	जमा	14,096.28
7,633.73	आरक्षित निधियां	5,927.73
1,215.59	उचन्त तथा विविध शेष	1,328.07
884.26	प्रेषण शेष	1,587.66
1,58,816.39	योग	1,76,195.26
	परिसम्पत्तियां	
1,54,388.76	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय—	1,85,264.11
22,671.87	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	30,377.19
1,31,716.89	अन्य पूंजीगत परिव्यय	1,54,886.92
44,995.50	कर्ज तथा अग्रिम	41,469.42
36,964.31	बिजली परियोजनाओं हेतु कर्ज	33,048.56
8,005.30	अन्य विकास कर्ज	8,401.72
25.89	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज तथा विविध कर्ज	19.14
3.93	अग्रिम	3.40
--	प्रेषण शेष	--
10,993.66	रोकड़—	7,135.56
--	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	--
-52.99	रिजर्व बैंक में जमा	-693.65
2.01	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	0.60
10,628.22	रोकड़ शेष निवेश	7,412.19

31.03.2017 की स्थिति में	परिसम्पत्तियाँ	31.03.2018 की स्थिति में
416.42	आरक्षित निधि निवेश	416.42
-51,565.46	सरकारी लेखाओं में घाटा—	-57,677.23
-3,769.42	(i) चालू वर्ष के राजस्व अधिशेष में कमी	-4,629.30
0.65	(क) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.03
10.21	(ख) सरकारी लेखे में राशि का संवरण	2.53
31.46	(ग) वर्ष के दौरान प्रोफार्मा/अन्य समायोजन	-1,485.03
--	(घ) आकस्मिकता निधि	--
-47,838.36	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा	-51,565.46
1,58,816.39	योग	1,76,195.26

(प्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 1.9
आरक्षित निधियों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.5.2; पृष्ठ 27)

(₹ लाख में)

विवरण	आरम्भिक शेष	जमा	नामे	अन्त शेष
2015-16				
आरक्षित निधियां				
ब्याज सहित आरक्षित निधि				
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	10,246.44	1,54,500.00	87,700.00	77,046.44
122- राज्य आपदा मोचन निधि	10,246.44	1,54,500.00	87,700.00	77,046.44
योग— ब्याज सहित आरक्षित निधि	10,246.44	1,54,500.00	87,700.00	77,046.44
ब्याज रहित आरक्षित निधि				
8223-सूखा राहत निधि	585.07	13.08	-	598.15
101-सूखा राहत निधि	592.10	0.71	-	592.81
102-सूखा राहत निधि निवेश लेखा	(-)7.03	12.37	-	नामे (-)5.34
8226-मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधि	463.58	-	-	463.58
102-शासकीय गैर वाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	463.58	-	-	463.58
8228-राजस्व आरक्षित निधियां	2,289.10	120.17	-	2,409.27
101-राजस्व आरक्षित निधियां	3,163.31	6.53	-	3,169.84
102-राजस्व आरक्षित निधियां—निवेश लेखे	(-)874.21	113.64	-	(-)760.57
8229-विकास एवं कल्याण निधियां	5,85,964.44	1,17,400.14	10,905.00	6,92,459.58
103-कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि—निधि लेखा	37.36	-	-	37.36
103- कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि—निधि लेखा—निवेश	(-)7.45	-	-	(-)7.45
110- विद्युत विकास निधि	92,794.65	49,019.75	10,815.00	1,30,999.40
114- खान (mines) कल्याण निधि	2,57,688.93	63,500.52	90.00	3,21,099.45
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधि	2,35,450.95	4,879.87	-	2,40,330.82
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	2.21	-	-	2.21
117- प्रत्याभूति मोचन निधि	39,457.78	-	-	39,457.78
120- प्रत्याभूति मोचन निधि—निवेश लेखा	(-)39,457.78	-	-	(-)39,457.78
200- अन्य निधियां	3.00	-	-	3.00
201- अन्य निधियां—निवेश लेखा	-0.79	-	-	-0.79
योग— ब्याज रहित आरक्षित निधि	5,89,304.40	1,17,533.39	10,905.00	6,95,932.79
महायोग	5,99,550.84	2,72,033.39	98,605.00	7,72,979.23
2016-17				
आरक्षित निधियां				
ब्याज सहित आरक्षित निधि				
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	77,046.44	2,79,680.00	2,79,680.00	77,046.44
122- राज्य आपदा मोचन निधि	77,046.44	2,79,680.00	2,79,680.00	77,046.44
योग— ब्याज सहित आरक्षित निधियां	77,046.44	2,79,680.00	2,79,680.00	77,046.44
ब्याज रहित आरक्षित निधि				
8223-सूखा राहत निधि	598.15	-	-	598.15
101-सूखा राहत निधि	592.81	-	-	592.81
102-सूखा राहत निधि निवेश लेखा	नामे (-)5.34	-	-	नामे (-)5.34
8226-मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधि	463.58	-	-	463.58
102-शासकीय गैर वाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	463.58	-	-	463.58
8228-राजस्व आरक्षित निधियां	2,409.27	-	-	2,409.27
101-राजस्व आरक्षित निधियां	3,169.84	-	-	3,169.84

विवरण	आरंभिक शेष	जमा	नामे	अन्त शेष
102-राजस्व आरक्षित निधियां—निवेश लेखे	(-)760.57	-	-	(-)760.57
8229-विकास एवं कल्याण निधियां	6,92,459.58	89,033.15	1,40,281.40	6,41,211.33
103- कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि—निधि लेखा	37.36	-	-	37.36
103- कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि—निधि लेखा—निवेश	(-)7.45	-	-	(-)7.45
110- विद्युत विकास निधि	1,30,999.40	31,313.35	6,584.10	1,55,728.65
114- खान (mines) कल्याण निधि	3,21,099.45	57,719.80	1,30,347.07	2,48,472.18
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधि	2,40,330.82		3,350.23	2,36,980.59
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	2.21	1,420.72	1,420.72	2.21
117- प्रत्याभूति मोचन निधि	39,457.78	1,420.72		40,878.50
120- प्रत्याभूति मोचन निधि—निवेश लेखा	(-)39,457.78		1,420.72	(-)40,878.50
200- अन्य निधियां	3.00	-	-	3.00
201- अन्य निधियां—निवेश लेखा	-0.79	-	-	-0.79
योग— ब्याज रहित आरक्षित निधि	6,95,932.79	90,453.87	1,41,702.12	6,44,684.54
महायोग	7,72,979.23	3,70,133.87	4,21,382.12	7,21,730.98

2017-18

आरक्षित निधियां				
ब्याज सहित आरक्षित निधि				
8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	10246.44⁶⁷	1,46,909.00	1,46,909.00	10,246.44
122- राज्य आपदा मोचन निधि	10246.44	1,46,909.00	1,46,909.00	10,246.44
योग— ब्याज सहित आरक्षित निधि	10246.44	1,46,909.00	1,46,909.00	10,246.44
ब्याज रहित आरक्षित निधि				
8223-सूखा राहत निधि	598.15	-	-	598.15
101-सूखा राहत निधि	592.81	-	-	592.81
102-सूखा राहत निधि निवेश लेखा	नामे (-)5.34	-	-	नामे (-)5.34
8226-मूल्यहास / नवीकरण आरक्षित निधि	463.58	-	-	463.58
102-शासकीय गैर वाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	463.58	-	-	463.58
8228-राजस्व आरक्षित निधियां	2,409.27	-	-	2,409.27
101-राजस्व आरक्षित निधियां	3,169.84	-	-	3,169.84
102-राजस्व आरक्षित निधियां—निवेश लेखे	(-)760.57	-	-	(-)760.57
8229-विकास एवं कल्याण निधियां	6,41,211.33	78,871.97	1,82,671.72	5,37,411.58
103-कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि—निधि लेखा	37.36	-	-	37.36
103- कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि—निधि लेखा—निवेश	(-)7.45	-	-	(-)7.45
110- विद्युत विकास निधि	1,55,728.65	51,671.97	44,841.00	1,62,559.62
114- खान (mines) कल्याण निधि	2,48,472.18	-	1,25,889.90	1,22,582.28
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधि	2,36,980.59	27,200.00	11,940.82	2,52,239.77
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	2.21	-	-	2.21
117- प्रत्याभूति मोचन निधि	40,878.50	-	-	40,878.50
120- प्रत्याभूति मोचन निधि—निवेश लेखा	(-)40,878.50	-	-	(-)40,878.50
200- अन्य निधियां	3.00	-	-	3.00
201- अन्य निधियां—निवेश लेखा	-0.79	-	-	-0.79
योग— ब्याज रहित आरक्षित निधि	6,44,684.54	78,871.97	1,82,671.72	5,40,884.79
महायोग	6,54,930.98	2,25,780.97	3,29,580.72	5,51,131.23

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

⁶⁷ प्रोफार्मा सुधार के कारण प्रारंभिक शेष में ₹ 66,800 लाख से कर्मी

परिशिष्ट 2.1

पिछले वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है
(संदर्भ: कंडिका 2.2.1; पृष्ठ 36)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों / विनियोगों की संख्या	अनुदान / विनियोग संख्या	आधिक्य की राशि
2003-04	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 68, 84 पूंजीगत (दत्तमत): 35, 94	2.54
	03 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 20, 67 पूंजीगत (प्रभारित): 23	
2008-09	02 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 62 पूंजीगत (दत्तमत): 43	5.80
	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 24 पूंजीगत (प्रभारित): 24	
2010-11	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 23 पूंजीगत (प्रभारित): 24	12.62
2011-12	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 33 पूंजीगत (दत्तमत): 15, 52, 74	135.10
	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 23 पूंजीगत (प्रभारित): 23	
2012-13	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 10 पूंजीगत (प्रभारित): 24	0.24
2013-14	02 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2 पूंजीगत (दत्तमत): 10	34.32
	01 विनियोग	पूंजीगत (प्रभारित): 21	
2014-15	03 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2, 6 पूंजीगत(दत्तमत): 42	446.28
	03 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 24, 67 पूंजीगत (प्रभारित): 41	
2016-17	01 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2	23.77
योग	16 अनुदान एवं 15 विनियोग		660.67

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.2

विभिन्न अनुदानों / विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण पत्रक
 (संदर्भ: कड़िका 2.2.2; पृष्ठ 36)

संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचतें	(₹ करोड़ में) प्रतिशत
1	लोक ऋण (पूँजीगत प्रभारित)	9,546.27	3,769.89	39.49
2	1 सामान्य प्रशासन (राजस्व प्रभारित)	52.27	15.81	30.25
3	2 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय (राजस्व दत्तमत)	134.93	48.88	36.23
4	4 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय (राजस्व दत्तमत)	66.28	29.18	44.03
5	6 वित्त (राजस्व दत्तमत)	12,580.86	3,115.23	24.76
6	6 वित्त (राजस्व प्रभारित)	20.74	17.62	84.96
7	6 वित्त (पूँजीगत दत्तमत)	1,697.11	1,511.72	89.08
8	8 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन (पूँजीगत दत्तमत)	138.60	30.44	21.96
9	9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	63.64	20.05	31.51
10	9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय (पूँजीगत दत्तमत)	10.20	10.20	100.00
11	13 किसान कल्याण तथा कृषि विकास (राजस्व दत्तमत)	8,383.16	3,199.77	38.17
12	14 पशुपालन (राजस्व दत्तमत)	981.51	225.34	22.95
13	14 पशुपालन (पूँजीगत दत्तमत)	15.84	12.76	80.55
14	16 मछली पालन (राजस्व दत्तमत)	87.48	22.07	25.23
15	19 लोक स्वारक्ष्य एवं परिवार कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	300.00	154.11	51.37
16	20 लोक स्वारक्ष्य यांत्रिकी (राजस्व दत्तमत)	780.06	188.15	24.12
17	20 लोक स्वारक्ष्य यांत्रिकी (पूँजीगत दत्तमत)	2,398.23	667.09	27.82
18	21 लोक सेवा प्रबंधन (राजस्व दत्तमत)	86.62	43.64	50.38
19	21 लोक सेवा प्रबंधन (पूँजीगत दत्तमत)	15.00	10.31	68.73
20	22 नगरीय विकास एवं पर्यावरण (पूँजीगत दत्तमत)	1,547.10	894.35	57.81
21	23 जल संसाधन विभाग (राजस्व दत्तमत)	1,062.33	241.20	22.70
22	24 लोक निर्माण कार्य-सङ्केत और पुल (राजस्व दत्तमत)	1,418.47	351.48	24.78
23	25 खनिज साधन (राजस्व दत्तमत)	62.47	29.88	47.83
24	25 खनिज साधन (राजस्व प्रभारित)	650.05	650.05	100.00
25	26 संस्कृति (पूँजीगत दत्तमत)	38.98	10.84	27.81
26	27 स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) (पूँजीगत दत्तमत)	734.01	515.58	70.24
27	29 विधि और विधायी कार्य (राजस्व दत्तमत)	1,102.83	253.89	23.02
28	29 विधि और विधायी कार्य (राजस्व प्रभारित)	161.52	37.59	23.27
29	30 ग्रामीण विकास (पूँजीगत दत्तमत)	3,335.70	768.29	23.03
30	33 आदिम जाति कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	1,560.72	669.76	42.91
31	34 सामाजिक न्याय (राजस्व दत्तमत)	611.67	168.68	27.58

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	बचतें	प्रतिशत
32	36	परिवहन (पूंजीगत दत्तमत)	55.01	31.11	56.55
33	38	आयुष (पूंजीगत दत्तमत)	46.50	37.81	81.31
34	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर) (पूंजीगत दत्तमत)	326.80	251.06	76.82
35	43	खेल और युवक कल्याण (पूंजीगत दत्तमत)	70.45	29.36	41.67
36	44	उच्च शिक्षा (पूंजीगत दत्तमत)	549.20	386.97	70.46
37	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (राजस्व दत्तमत)	1,388.65	716.88	51.62
38	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (पूंजीगत दत्तमत)	326.85	97.52	29.84
39	48	नर्मदा धाटी विकास (राजस्व दत्तमत)	52.38	24.02	45.86
40	49	अनुसूचित जाति कल्याण (पूंजीगत दत्तमत)	262.50	58.35	22.23
41	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (राजस्व दत्तमत)	942.16	292.30	31.02
42	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (पूंजीगत दत्तमत)	221.50	214.48	96.83
43	55	महिला एवं बाल विकास (पूंजीगत दत्तमत)	196.38	78.55	40.00
44	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें (पूंजीगत दत्तमत)	30.00	26.72	89.07
45	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय (राजस्व दत्तमत)	3,485.05	884.84	25.39
46	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय (पूंजीगत दत्तमत)	28.82	20.28	70.37
47	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूंजीगत दत्तमत)	113.00	98.40	87.08
48	67	लोक निर्माण कार्य-भवन (राजस्व दत्तमत)	683.85	174.59	25.53
49	67	लोक निर्माण कार्य-भवन (पूंजीगत दत्तमत)	349.99	150.29	42.94
50	69	घुमकड़ एवं अर्द्ध घुमकड़ जाति कल्याण (राजस्व दत्तमत)	37.59	20.95	55.73
योग			58,811.33	21,278.33	36.18

(स्रोत: 2017–18 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.3

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थीं, का विवरण पत्रक
 (संदर्भ: कड़िका 2.2.2; पृष्ठ 36)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का प्रतिशत
राजस्व—दत्तमत							
1	6—वित्त	12,580.76	0.10	12,580.86	9,465.63	3,115.23	24.76
2	13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास	4,343.16	4,040.00	8,383.16	5,183.39	3,199.77	38.17
3	20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	780.06	Token	780.06	591.91	188.15	24.12
4	23—जल संसाधन विभाग	1,062.33	0.00	1,062.33	821.14	241.19	22.70
5	24—लोक निर्माण कार्य-सङ्गठकों और पुल	1,418.47	0.00	1,418.47	1,066.99	351.48	24.77
6	29—विधि और विधायी कार्य	1,078.37	24.46	1,102.83	848.94	253.89	23.02
7	34—सामाजिक न्याय	611.67	0.00	611.67	442.99	168.68	27.58
8	47—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	1,382.49	6.15	1388.64	671.77	716.87	51.62
9	50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	732.16	210.00	942.16	649.86	292.30	31.02
10	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2,185.05	1,300.00	3,485.05	2,600.20	884.85	25.39
11	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	653.85	30.00	683.85	509.26	174.59	25.53
राजस्व—प्रभारित							
12	25—खनिज साधन	650.05	0.00	650.05	0.00	650.05	100.00
पूँजीगत—दत्तमत							
13	6—वित्त	1,697.11	0.00	1,697.11	185.39	1,511.72	89.08
14	19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	300.00	0.00	300.00	145.89	154.11	51.37
15	20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2,398.23	0.00	2,398.23	1,731.15	667.08	27.82
16	22—नगरीय विकास एवं पर्यावरण	718.87	828.23	1,547.10	652.76	894.34	57.81
17	27—स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	705.01	29.00	734.01	218.42	515.58	70.24
18	30—ग्रामीण विकास	3,235.70	100.00	3,335.70	2,567.41	768.29	23.03
19	33—आदिम जाति कल्याण	903.44	657.28	1,560.72	890.96	669.76	42.91
20	40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	311.80	15.00	326.80	75.74	251.06	76.82
21	44—उच्च शिक्षा	549.20	0.00	549.20	162.23	386.97	70.46
22	53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	221.50	0.00	221.50	7.02	214.48	96.83
23	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	281.17	68.82	349.99	199.70	150.29	42.94
पूँजीगत—प्रभारित							
24	पी.डी.—लोक ऋण	9,546.27	0.00	9,546.27	5,776.38	3,769.89	39.49
योग		48,346.72	7,309.04	55,655.76	35,465.13	20,190.63	36.28

(स्रोत: 2017–18 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.4
सतत बचत दर्शाने वाले अनुदान
(संदर्भ: कंडिका 2.2.3; पृष्ठ 37)

₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	बचतों की राशि (कोष्ठकों में कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
राजस्व—दत्तमत						
1	9—राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	18.22 (29.99)	21.08 (31.41)	25.13 (41.32)	16.42 (28.47)	20.05 (31.51)
2	13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास	334.95 (28.44)	518.65 (21.06)	2,235.89 (63.36)	1,113.97 (26.77)	3,199.77 (38.17)
3	16—मछली पालन	17.77 (26.78)	26.88 (36.15)	19.11 (27.19)	25.11 (29.95)	22.07 (25.23)
4	25—खनिज साधन	6.51 (21.89)	12.35 (32.24)	11.65 (29.81)	9.01 (23.34)	29.88 (47.83)
5	34—सामाजिक न्याय	78.17 (31.90)	95.39 (42.19)	67.30 (29.52)	80.97 (29.97)	168.68 (27.58)
6	48—नर्मदा घाटी विकास	6.24 (26.27)	19.07 (66.17)	7.78 (34.99)	8.29 (29.26)	24.02 (45.86)
7	50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	157.11 (44.31)	140.02 (33.23)	117.38 (20.54)	185.43 (27.11)	292.30 (31.02)
8	63—अल्प संख्यक कल्याण	35.81 (53.11)	43.28 (63.28)	45.09 (71.60)	8.13 (32.51)	6.58 (34.27)
राजस्व—प्रभारित						
9	1—सामान्य प्रशासन	6.81 (30.98)	13.69 (31.25)	28.03 (39.81)	17.10 (26.81)	15.81 (30.25)
10	6—वित्त	13.24 (89.64)	12.40 (83.90)	15.53 (89.87)	7.06 (40.86)	17.62 (84.96)
पूंजीगत—दत्तमत						
11	6—वित्त	234.74 (81.98)	141.27 (30.01)	137.26 (75.81)	169.64 (94.34)	1,511.72 (89.08)
12	9—राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	4.84 (98.79)	2.00 (100)	1.49 (49.60)	17.22 (100)	10.20 (100)
13	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	34.85 (71.41)	24.97 (21.44)	129.46 (34.92)	110.37 (33.03)	515.58 (70.24)
14	38—आयुष	12.74 (48.22)	11.18 (54.94)	19.98 (63.44)	25.99 (61.62)	37.81 (81.31)
15	42—भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास	6.30 (55.99)	3.25 (82.97)	2.40 (72.87)	3.53 (63.66)	3.27 (60)
16	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.50 (100)	2.50 (100)	3.00 (100)	3.00 (100)	20.28 (70.37)
17	64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	21.36 (85.44)	19.81 (79.24)	25.00 (98.24)	13.53 (66.04)	98.40 (87.08)
18	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	91.29 (49.98)	75.72 (40.33)	68.62 (28.48)	96.78 (33.73)	150.29 (42.94)
पूंजीगत—प्रभारित						
19	पी.डी.—लोक ऋण	4,018.05 (50.08)	4,256.48 (46.38)	3,912.80 (44.60)	4,180.22 (45.91)	3,769.89 (39.49)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.5
योजनाएं जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा
(संदर्भ: कंडिका 2.2.4; पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-5898-8.20 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	14.35	0.00	14.35	100
2	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-7887-5.85 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	23.40	0.00	23.40	100
3	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-6973-स्थानीय निधि निष्कैप खातों पर ब्याज	10.00	0.00	10.00	100
4	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-0807-कामगार अंशदायक भविष्य निधि पर ब्याज	10.00	0.00	10.00	100
5	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-108-0117-निश्चित पेंशन योजना पर ब्याज	10.00	0.00	10.00	100
6	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-6971-शासकीय कमेचारी समूह बीमा योजना-2003 (बचत निधि पर ब्याज)	55.85	0.00	55.85	100
7	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-6972- शासकीय कमेचारी समूह बीमा योजना-1985 (बचत निधि पर ब्याज)	72.83	0.00	72.83	100
8	पी.डी.	लोक ऋण	6003-101-0716- विविध ऋण अदायगी	100.00	0.00	100.00	100
9	पी.डी.	लोक ऋण	6003-110-0637- उपाय तथा साधन अग्रिम	2,000.00	0.00	2,000.00	100
10	पी.डी.	लोक ऋण	6003-110-0779-- कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2,000.00	0.00	2,000.00	100
11	3	पुलिस	2055-800-1416- राज्य सड़क सुरक्षा निधि का गठन	50.00	0.00	50.00	100
12	3	पुलिस	2055-800-0801-1948—राष्ट्रीय आपदा विमोचन प्रणाली	14.18	0.00	14.18	100
13	6	वित्त	2071-01-200-5653—अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	18.54	0.00	18.54	100
14	6	वित्त	2071-01-101-9999—एकीकृत मध्य प्रदेश	16.85	0.00	16.85	100
15	6	वित्त	6075-800-6787-गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	51.31	0.00	51.31	100
16	6	वित्त	6075-800-6788—राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	0.00	25.00	100
17	6	वित्त	6801-205-0839—ऊर्जा क्षेत्र के लिये वित्तीय पुनर्संरचना ऋण	1,500.00	0.00	1,500.00	100
18	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	4058-103-0101-3427- मशीनें और उपकरण, छपाई की मशीनों की खरीद	10.20	0.00	10.20	100
19	10	वन	2406-01-797-3885- वन विकास निधि में अंतरण	35.00	0.00	35.00	100

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
20	12	ऊर्जा	6801-190-1203-1284- पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (ए.डी.बी.-3)	80.00	0.00	80.00	100
21	12	ऊर्जा	6801-190-1203-6929- पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	33.00	0.00	33.00	100
22	12	ऊर्जा	6801-190-1202-1284- पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (ए.डी.बी.-3)	69.00	0.00	69.00	100
23	12	ऊर्जा	6801-190-1202-6929- पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	29.03	0.00	29.03	100
24	12	ऊर्जा	6801-205-1201-0700- ग्रीन कोरोडोर	81.29	0.00	81.29	100
25	12	ऊर्जा	6801-205-1201-6929- पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	145.30	0.00	145.30	100
26	13	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	2401-102-0101-0694- नमेदा नदी के तट पर पर्यावरण सुधार एवं प्रदूषण निवारण	27.25	0.00	27.25	100
27	14	पशुपालन	2403-001-0102-6998- पशु रोग की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय	10.76	0.00	10.76	100
28	14	पशुपालन	2403-001-0101-6998- पशु रोग की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय	26.88	0.00	26.88	100
29	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0702-9029- सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना (एन.सी.ई.एफ.)	35.98	0.00	35.98	100
30	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0423-7297- खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय	102.00	0.00	102.00	100
31	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0422-7297- खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय	153.00	0.00	153.00	100
32	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	4217-60-800-0103-7711- एम.पी. अबेन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक)	40.00	0.00	40.00	100
33	23	जल संसाधन	4700-50-800-0101-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	25.00	0.00	25.00	100
34	23	जल संसाधन	4700-86-800-0101-2897- बांध तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	80.00	0.00	80.00	100
35	23	जल संसाधन	4701-80-800-0101-0643- बघराजी नहर योजना	20.00	0.00	20.00	100
36	24	लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	3054-04-337-0103-0134-रखरखाव और मरम्मत—साधारण मरम्मत	10.00	0.00	10.00	100
37	24	लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	3054-04-337-0103-4557-सुदृढ़ीकरण	10.00	0.00	10.00	100
38	25	खनिज साधन	2853-02-800-0420-8808- सूचना प्रोटोग्राफी से संबंधित कार्य	23.00	0.00	23.00	100
39	25	खनिज साधन	2853-02-800-0420-6606- खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अन्तरण	650.00	0.00	650.00	100
40	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-0101-0730- माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर	17.70	0.00	17.70	100
41	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-03-103-0101-2067-पीने का पानी	13.50	0.00	13.50	100
42	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202-04-800-0101-8799- छात्रावास भवन का निर्माण	25.20	0.00	25.20	100
43	33	आदिम जाति कल्याण	4225-02-277-0702-8799- छात्रावास भवन का निर्माण	30.00	0.00	30.00	100

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत	
44	33	आदिम जाति कल्याण	4225-02-277-0702-8828-आश्रम/स्कूल भवनों का निर्माण	11.00	0.00	11.00	100	
45	33	आदिम जाति कल्याण	4225-02-800-0102-7746-डेव्हलपमेंट सेन्टर का निर्माण	स्किल	10.00	0.00	10.00	100
46	34	सामाजिक न्याय	2235-60-110-0102-5614- जनश्री बीमा योजना	10.50	0.00	10.50	100	
47	34	सामाजिक न्याय	2235-60-110-0101-5614- जनश्री बीमा योजना	17.50	0.00	17.50	100	
48	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0101-2078- हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	13.25	0.00	13.25	100	
49	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	4202-01-202-0102-0816- उत्कृष्ट विद्यालय तथा मॉडल स्कूल में छात्रावास निर्माण	10.00	0.00	10.00	100	
50	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	4202-01-202-0101-0816-उत्कृष्ट विद्यालय तथा मॉडल स्कूल से छात्रावास का निर्माण	22.40	0.00	22.40	100	
51	43	खेल युवक कल्याण	4202-03-102-0101-2050- स्वामी विवेकानन्द स्पोर्ट्स एण्ड फिटनेस सेन्टर	10.50	0.00	10.50	100	
52	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2203-001-0702-7469- राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन	14.00	0.00	14.00	100	
53	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0103-0736-मुख्यमंत्री कौशल्या योजना	12.50	0.00	12.50	100	
54	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0103-0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	16.00	0.00	16.00	100	
55	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0102-0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	16.00	0.00	16.00	100	
56	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0101-0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	37.00	0.00	37.00	100	
57	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	4202-03-003-0101-0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	13.00	0.00	13.00	100	
58	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-01-205-0102-9133-सरदार सरोवर योजना	100.00	0.00	100.00	100	
59	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-01-205-0101-9133- सरदार सरोवर योजना	25.00	0.00	25.00	100	
60	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01-277-0103-5903- पोस्टमैट्रिक शिक्षा	10.00	0.00	10.00	100	
61	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-0102-6496- उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अन्तर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना	10.50	0.00	10.50	100	
62	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	2250-800-0103-7227- तीर्थयात्रा के लिये सब्सिडी	23.00	0.00	23.00	100	
63	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	2250-800-0102-7227- तीर्थयात्रा के लिये सब्सिडी	31.75	0.00	31.75	100	

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
64	52	चिकित्सा शिक्षा	4210-03-105-6885- चैकित्सा महाविद्यालय इंदौर में कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना	10.00	0.00	10.00	100
65	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-198-0702-0647-ग्राम स्वराज अभियान	11.49	0.00	11.49	100
66	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-198-0701-0647- ग्राम स्वराज अभियान	18.67	0.00	18.67	100
67	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0101-6221— इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	40.00	0.00	40.00	100
68	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-192-0101-6221— इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	15.00	0.00	15.00	100
69	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6062-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेय जल के लिये विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति	10.00	0.00	10.00	100
70	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6063- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	10.00	0.00	10.00	100
71	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217-60-191-1203-7336- एम.पी.अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	33.75	0.00	33.75	100
72	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217-60-191-1202-7336- एम.पी.अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	11.25	0.00	11.25	100
73	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217-60-191-1202-7336— एम.पी.अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	24.00	0.00	24.00	100
74	67	लोक निर्माण कार्य- भवन	4059-01-051-0840-केन्द्रीय जेल इंदौर का निर्माण	30.00	0.00	30.00	100
75	67	लोक निर्माण कार्य- भवन	4059-01-051-1933- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वी.वी.पी.ए.टी. को गोदाम में रखने हेतु निर्माण	25.00	0.00	25.00	100
योग				8,408.46	0.00	8,408.46	100

(स्रोत: वर्ष 2017–18 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.6

प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)

अनावश्यक सिद्ध हुए

(संदर्भ: कड़िका 2.2.5; पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
क—राजस्व (दत्तमत)					
1	2— सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	131.32	86.05	45.27	3.61
2	3—पुलिस	5,778.78	5,445.05	333.73	166.71
3	4— गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	52.32	37.11	15.21	13.96
4	8—भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	1,394.35	1,169.72	224.63	3.38
5	10—वन	2,329.43	1,906.60	422.83	15.06
6	14—पशुपालन	952.05	756.17	195.88	29.46
7	18—श्रम	178.73	165.28	13.45	3.42
8	19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,372.60	5,090.52	282.08	25.00
9	21—लोक सेवा प्रबंधन	84.12	42.98	41.14	2.50
10	29—विधि और विधायी कार्य	1,078.37	848.94	229.43	24.46
11	33—आदिम जाति कल्याण	3,162.46	2,786.85	375.61	105.94
12	38—आयुष	385.52	342.79	42.73	4.90
13	39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1,610.14	1,576.26	33.88	20.87
14	47—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	1,382.49	671.77	710.72	6.15
15	55—महिला एवं बाल विकास	4,118.37	3,713.77	404.60	120.58
16	64— नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	7,764.84	7,091.74	673.10	10.80
17	67—लोक निर्माण कार्य-भवन	653.85	509.26	144.59	30.00
योग (क)		36,429.74	32,240.86	4,188.88	586.80
ख—पूंजीगत (दत्तमत)					
18	27— स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	705.01	218.42	486.59	29.00
19	30— ग्रामीण विकास	3,235.70	2,567.41	668.29	100.00
20	40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	311.80	75.74	236.06	15.00
21	47— तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	309.99	229.33	80.66	16.86
22	67—लोक निर्माण कार्य-भवन	281.17	199.70	81.47	68.82
योग (ख)		4,843.67	3,290.60	1,553.07	229.68
ग—राजस्व (प्रभारित)					
23	12—ऊर्जा	516.72	516.72	0	69.87
24	29—विधि और विधायी कार्य	148.80	123.92	24.88	12.71
योग (ग)		665.52	640.64	24.88	82.58
महायोग (क+ख+ग)		41,938.93	36,172.10	5,766.83	899.06

(स्रोत: वर्ष 2017–18 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.7

प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) (संदर्भ: कड़िका 2.2.5; पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
क—राजस्व (दत्तमत)					
1	1— सामान्य प्रशासन	385.98	92.00	427.16	50.83
2	11—वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	574.77	101.50	659.76	16.51
3	12—ऊर्जा	8,880.67	820.00	9,509.25	191.42
4	13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास	4,343.16	4,040.00	5,183.39	3,199.77
5	17—सहकारिता	1,433.83	580.00	1,740.14	273.69
6	22—नगरीय विकास एवं पर्यावरण	3442.77	1,608.05	4,525.18	525.63
7	26—संस्कृति	180.45	96.55	250.84	26.16
8	28—राज्य विधानसभा	88.13	10.21	86.68	11.66
9	30—ग्रामीण विकास	1,169.82	132.00	1,187.90	113.92
10	31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	118.86	13.43	107.68	24.61
11	32—जनसंपर्क	299.00	107.50	382.64	23.86
12	35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	694.76	75.00	764.35	5.41
13	48—नर्मदा घाटी विकास	36.14	16.25	28.37	24.02
14	50— उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	732.16	210.00	649.86	292.30
15	52—चिकित्सा शिक्षा विभाग	777.48	69.61	746.59	100.50
16	53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	24,968.71	6,436.69	28,792.44	2,612.97
17	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2185.05	1,300.00	2,600.20	884.84
18	65—विमानन	32.81	13.50	36.66	9.65
योग (क)		50,344.55	15,722.29	57,679.09	8,387.75
ख—पूंजीगत (दत्तमत)					
19	1— सामान्य प्रशासन	24.70	24.81	43.83	5.68
20	12—ऊर्जा	7,352.23	1,409.16	8,039.74	721.65
21	22—नगरीय विकास एवं पर्यावरण	718.87	828.23	652.76	894.34
22	24— लोक निर्माण कार्य सङ्केत और पुल	5,926.03	650.00	6,345.02	231.01
23	31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	157.20	20.71	145.45	32.46
24	33—आदिम जाति कल्याण	903.44	657.28	890.96	669.76
25	35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	81.50	160.50	222.71	19.29
26	37—पर्यटन	91.50	23.56	114.06	1.00
27	48—नर्मदा घाटी विकास	2,689.55	310.00	2,507.42	492.13
28	52—चिकित्सा शिक्षा विभाग	843.30	81.50	883.21	41.59
29	60—जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	535.69	77.25	491.13	121.81
योग (ख)		19,324.01	4,243.00	20,336.29	3,230.72
महायोग (क+ख)		69,668.56	19,965.29	78,015.38	11,618.47

अतिरिक्त आवश्यकता: वास्तविक व्यय—मूल प्रावधान = 78,015.38 – 69,668.56 = 8,346.82
(स्रोत: वर्ष 2017–18 के विनियोग लेख)

परिशिष्ट 2.8
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग
(प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)
(संदर्भ: कड़िका 2.2.6; पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	आधिक्य (+)	बचत (-)
1	3	पुलिस	2055-800-0101-7346- केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तत्र	(+)8.47	0.00	(-)3.24
2	5	जेल	2056-001-2304-निदेशन और प्रशासन	(+)2.26	0.00	(-)1.20
3	6	वित्त	2054-095-2304- निदेशन और प्रशासन	(+)1.37	0.00	(-)5.82
4	6	वित्त	2054-097-1026-कोषालय स्थापना	(+)1.50	0.00	(-)15.25
5	6	वित्त	6075-800-6842-राज्य शासन के उपक्रमों की पुर्णसंरचना हेतु ऋण सहायता	(+)130.00	0.00	(-) 28.00
6	7	वणिज्यिक कर	2039-104-4173-स्पिरिट की खरीद	(+)12.00	0.00	(-)1.45
7	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2053-093-1509- जिला स्थापना	(+)6.13	0.00	(-) 48.39
8	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2053-101-0452-आयुक्त	(+)1.03	0.00	(-)4.21
9	10	वन	2406-01-004-7781-मलिक मकबूजा लकड़ियों की खरीद	(+)13.64	0.00	(-)1.75
10	10	वन	4406-01-102-0102-6397- नर्सरियों में पौधा तैयारी	(+)2.52	0.00	(-)5.89
11	12	ऊर्जा	2801-80-101-0102-5855- म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पर्म्पों/थेसरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति	(+)628.10	0.00	(-)118.82
12	12	ऊर्जा	4801-05-190-0101-1937- पारेषण प्रणाली को सशक्तीकरण बनाने हेतु जे. आई.सी.ए. द्वारा निवेश	(+)145.30	0.00	(-)102.13
13	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-103-0101-2777- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक)	(+)3.98	0.00	(-)71.55
14	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-198-0801-0621-उप स्वास्थ्य केन्द्र	(+)35.50	0.00	(-)3.38
15	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-0103-7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	(+)16.43	0.00	(-)14.55
16	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-02-104-1403-6882- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (नावार्ड)	(+)22.60	0.00	(-)18.86
17	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-02-104-0103-5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	(+)8.43	0.00	(-)3.52
18	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0101-4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	(+)136.54	0.00	(-)8.69
19	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	2217-05-800-0701-1238- कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन	(+)152.45	0.00	(-)112.16
20	23	जल संसाधन विभाग	4700-13-800-0701-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(+)140.50	0.00	(-)25.32

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	आधिक्य (+)	बचत (-)
21	23	जल संसाधन	4700-21-800-0701-6596- सुधार, सुदृढ़ीकरण एवं पुर्णस्थापना	(+)7.74	0.00	(-)1.02
22	23	जल संसाधन	4700-56-800-0101-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(+)115.00	0.00	(-)5.97
23	23	जल संसाधन	4700-70-800-0101-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(+)248.87	0.00	(-)1.26
24	33	आदिम जाति कल्याण	2225-02-277-0102-0671- ऐच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवत्तियों के लिये अनुदान	(+)29.37	0.00	(-)1.51
25	33	आदिम जाति कल्याण	4225-02-277-0102-8799-छात्रावास भवनों का निर्माण	(+)60.29	0.00	(-)3.16
26	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0581- हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल	(+)3.91	0.00	(-)111.50
27	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701-6005- नेशनल सेकेण्डरी एज्यूकेशन अभियान का कार्यान्वयन	(+)171.44	0.00	(-)1.55
28	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0101-6968- हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन	(+)9.19	0.00	(-)3.82
29	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-0101-3803- लघु और सूक्ष्म लघु सिंचाई योजना	(+)50.55	0.00	(-)10.15
30	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0101-6476- कौशल विकास की महत्ता का प्रचार प्रसार	(+)2.50	0.00	(-)1.68
31	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0101-6477- कौशल विकास की महत्ता का प्रचार प्रसार	(+)3.30	0.00	(-)1.73
32	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	4202-02-104-0101-6477- कौशल विकास की महत्ता का प्रचार प्रसार	(+)2.52	0.00	(-)19.28
33	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-45-001-9091- औंकारेश्वर प्रोजेक्ट	(+)27.30	0.00	(-)16.15
34	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-51-800-0101-9000- रानी अवंती बाई सागर प्रोजेक्ट जबलपुर, यूनिट- ।।	(+)41.98	0.00	(-)1.00
35	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-6398- पुनासा उद्वहन सिंचाई परियोजना	(+)14.45	0.00	(-)4.15
36	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-80-800-0101-4406- सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च	(+)428.14	0.00	(-)22.72
37	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	2250-800-0101-7227- तीर्थयात्रा के लिये सब्सिडी	(+)54.75	0.00	(-)1.22
38	52	चिकित्सा शिक्षा विभाग	2210-05-105-1915- डेन्टल कॉलेज	(+)2.53	0.00	(-)4.36
39	52	चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-9080- रतलाम एवं अन्य नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण	(+)5.52	0.00	(-)2.69
40	52	चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-0701-2061- एम.बी.बी. एस. की सीटों में वृद्धि	(+)15.00	0.00	(-)1.10
41	52	चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-0101-7296- चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दो हजार बेड्स का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	(+)20.00	0.00	(-)1.44

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	आधिक्य (+)	बचत (-)
42	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-01-196-0102-9416- प्राथमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	(+) 107.43	0.00	(-)1.45
43	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-01-197-0102-2773- प्राइमरी स्कूल	(+) 46.40	0.00	(-)4.36
44	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-01-198-0102-2773- प्राइमरी स्कूल	(+) 44.00	0.00	(-)1.63
45	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-02-196-0101-8403- अध्यापक संवर्ग के वेतन के लिये अनुदान	(+) 250.00	0.00	(-)20.16
46	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-02-198-0102-0581- हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूल	(+) 7.70	0.00	(-)1.49
47	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2225-02-196-0102-8844- कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं (कक्षा ग्यारहवें)	(+) 4.00	0.00	(-)1.75
48	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-101-0096- अग्नि पीड़ितों को राहत	(+) 15.00	0.00	(-)7.32
49	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-7249- कीट प्रकोप से फसल क्षति	(+) 70.00	0.00	(-)43.00
50	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2202-01-192-0102-9416- प्राथमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	(+) 7.50	0.00	(-)5.45
51	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2202-01-192-0102-9417- उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	(+) 9.90	0.00	(-)4.16
52	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2202-01-193-0102-9417- उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	(+) 4.70	0.00	(-)1.27
53	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2202-01-193-0102-9418-माध्यमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	(+) 2.40	0.00	(-)1.89
54	10	वन	2406-01-203-0535- इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार	(-) 21.39	(+) 1.19	0.00
55	10	वन	4406-01-101-0102-7882- कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन संरक्षण समूह	(-) 14.25	(+) 6.01	0.00
56	10	वन	4406-01-102-0101-6397- नर्सरियों में पौधा तैयारी	(-) 2.48	(+) 2.09	0.00
57	23	जल संसाधन विकास	2700-11-101-0101-2894- बांध तथा नहरें	(-) 7.12	(+) 1.81	0.00
58	23	जल संसाधन विकास	2701-80-001-0275- आवियान स्थापना	(-) 22.74	(+) 7.33	0.00
59	23	जल संसाधन विकास	2700-13-101-0101-2894- बांध तथा नहरें	(-) 3.21	(+) 10.41	0.00
60	23	जल संसाधन विकास	2701-80-800-0101-6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	(-) 1.34	(+) 1.91	0.00
61	23	जल संसाधन विकास	4700-13-800-0703-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(-) 1.50	(+) 25.53	0.00
62	24	लोक निर्माण कार्य सङ्केत और पुल	3054-04-337-0101-4557- सुदृढीकरण	(-) 14.71	(+) 2.95	0.00

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	आधिक्य (+)	बचत (-)
63	24	लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	3054-04-337-0101-0134- अनुरक्षण और मरम्मत – साधारण मरम्मत	(-)11.06	(+)31.43	0.00
64	24	लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	5054-04-800-1401-5226- ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबाड़)	(-)20.98	(+)114.72	0.00
65	24	लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	5054-04-800-0101-2457- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	(-)27.14	(+)343.80	0.00
66	34	सामाजिक न्याय	2235-02-800-0801-7569- निःशक्त जनों के लिये बाधारित वातावरण	(-)6.30	(+)1.43	0.00
67	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0101-0701- अतिथि शिक्षकों का मानदेय	(-)185.34	(+)1.72	0.00
68	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-43-800-0703-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(-)30.95	(+)13.48	0.00
69	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-43-800-0701-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(-)160.58	(+)2.29	0.00
70	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-45-800-0701-9091- ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट	(-)130.49	(+)9.03	0.00
71	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-45-800-0102-5177- परियोजना का हिस्सा एन.एच.डी.सी. को भुगतान	(-)27.50	(+)1.64	0.00
72	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-02-196-0101-6968- हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन	(-)20.00	(+)2.64	0.00
73	56	ग्रामोद्योग	2851-107-0101-3777- रेशम उद्योग का विकास कार्य	(-)16.21	(+)6.54	0.00
74	56	ग्रामोद्योग	2851-103-0931- केन्द्रीय कार्यालय	(-)1.01	(+)1.50	0.00
75	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-193-0101-6221- छोटे एवं मध्यम शहरों के लिये अधो-संरचना विकास योजना	(-)13.00	(+)2.05	0.00
76	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	2059-01-053-4220- शिक्षा – चिकित्सा महाविद्यालय	(-)21.48	(+)4.48	0.00
77	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	4059-01-051-0101-8042- विश्राम भवन/ गृह निर्माण/ पुनर्निर्माण/ पुनरस्थापना	(-)2.64	(+)1.06	0.00
योग					(+)597.08	(-)905.57

(स्रोत: वर्ष 2017–18 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.9
2017–18 के दौरान सारभूत समर्पण
(संदर्भ: कंडिका 2.2.7; पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
1	1	सामान्य प्रशासन	2015-101-6757-स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	25.48	13.44	52.75
2	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2235-60-200-1338-मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना	6.00	3.11	51.83
3			2235-60-200-2653- पूर्वहस्ति प्रयोजनों के लिये अनुदान	2.00	1.36	68.00
4			4235-60-800-1314- सैनिक रेस्ट हाउस	1.60	1.25	78.13
5	10	वन	2406-01-001-0701-5317- गहन वन प्रबंधन	6.60	3.82	57.88
6			2406-01-001-0103-0667- कृषि वानिकी हेतु उपमिशन	0.84	0.76	90.48
7			2406-01-001-0101-0667- कृषि वानिकी हेतु उपमिशन	2.52	2.27	90.08
8			2406-01-101-0801-0664- इकौ सिस्टम सर्विसेस इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट	5.00	4.56	91.20
9			2406-01-101-0701-7489- आयुष सहित औषधीय पौधों पर राष्ट्रीय मिशन	1.00	0.90	90.00
10			2406-01-797-3885- वन विकास विधि में अन्तरण	35.00	31.50	90.00
11	14	पशुपालन	2403-101-0701-1458- जानवरों की मुख्य बीमारीयों का व्यवस्थित नियंत्रण	12.40	10.26	82.74
12	20	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	2215-01-192-0420-7297- खनिज क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति	5.00	3.50	70.00
13			4215-01-102-0703-4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	13.00	10.19	78.38
14			4215-01-102-0702-4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	24.72	18.40	74.43
15			4215-01-102-0702-6032- भू-जल संवर्धन कार्यक्रम	6.55	5.92	90.38
16			4215-01-102-0702-7162- ग्रामीण शालाओं में जल प्रदाय	3.25	3.13	96.31
17			4215-01-102-0702-7233- इयरमार्क जलगुणवत्ता कार्यक्रम	6.00	6.00	100.00
18			4215-01-102-0702-9029- सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना (एन. सी.ई.एफ.)	35.98	35.98	100.00
19			4215-01-102-0701-4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	27.28	16.64	61.00
20			4215-01-102-0423-7297- खनिज क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति	102.00	102.00	100.00
21			4215-01-102-0422-7297- खनिज क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति	153.00	153.00	100.00

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
22			4215-01-800-0701-6032- भू-जल संवर्धन कार्यक्रम	7.20	5.49	76.25
23	21	लोक सेवा प्रबंधन	2053-093-1201-7628- सर्वसेवा परियोजना का क्रियान्वयन	25.00	20.00	80.00
24			2053-800-7047- लोक सेवा केन्द्रों को अनुदान	10.00	5.20	52.00
25			2053-800-7364- जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी को अनुदान	11.00	9.50	86.36
26			2053-800-9079- म.प्र. लोक सेवा अभिकरण की स्थापना	2.60	2.35	90.38
27			2053-800-0701-9039- ई-डिस्ट्रिक्ट योजना का क्रियान्वयन	1.00	1.00	100.00
28			4059-01-051-6783- लोक सेवा केन्द्रों का निर्माण	15.00	8.45	56.33
29			4216-01-700-6989- विधानसभा भवन एवं विधायक विश्राम गृह की मरम्मत	3.50	2.18	62.29
30	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	4217-01-050-0101-3115- भू अर्जन का भुगतान	10.00	10.00	100
31			2700-15-101-0102-2894- बांध तथा नहरें	3.55	1.78	50.14
32			2701-80-800-0103-2250- नहरें और टैंक	3.32	3.13	94.28
33			2705-800-0701-3701- राज्य स्तर पर आयाकट सेल	7.53	4.14	54.98
34			4701-48-800-0102-3366- मध्यम प्रोजेक्टों का निर्माण कार्य	80.00	58.74	73.43
35			4701-95-800-0102-2897- बांध तथा संलग्न कार्य	50.00	35.03	70.06
36			4702-800-0102-6079- सुधार, सुदृढ़ीकरण, पुर्नस्थापना (आर.आर.आर.)	35.00	22.19	63.40
37			4705-222-0701-2823- फील्ड चैनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियन्सी, इंडेन एवं अन्य कार्य	15.00	11.60	77.33
38			4705-800-0701-6648- वृहद एवं मध्यम परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र विकास, फील्ड चैनल का निर्माण, करेक्शन आफ सिस्टम डिफिशियन्सी	32.88	17.08	51.95
39	25	खनिज साधन	2853-02-800-0420-8808- सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	23.00	22.85	99.35
40			4853-01-004-0420-2713- प्रयोगशाला	1.00	0.92	92.00
41			4853-01-800-0420-0182- अन्य खनिजों का सर्वे	7.00	7.00	100
42	27	स्कूल शिक्षा (प्राथमिक)	2202-01-101-0703-6809- कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय	15.00	8.92	59.47

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
43	शिक्षा)		2202-01-101-0702-6011- साक्षर भारत	20.00	16.90	84.50
44			2202-01-101-0702-6809- कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय	32.00	19.04	59.50
45			2202-01-101-0103-6716- निःशुल्क गणवेश प्रदाय	15.01	10.01	66.69
46			2202-01-101-0101-0730- माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर	17.70	17.70	100
47			2202-01-101-0101-6716- निःशुल्क गणवेश प्रदाय	36.98	21.98	59.44
48			2202-01-108-0701-6809- कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय	45.00	26.77	59.49
49			2202-01-108-0101-6813- साइकिलों का प्रदाय	56.00	39.20	70.00
50			2202-01-108-0102-6813- साइकिलों का प्रदाय	19.00	13.30	70.00
51			2202-01-108-0103-6813- साइकिलों का प्रदाय	14.00	9.80	70.00
52			2202-03-103-0101-2067- पीने का पानी	13.50	13.50	100
53			4202-01-201-0703-8810- सर्व शिक्षा अभियान	93.00	56.70	60.97
54			4202-01-201-0703-8810- सर्व शिक्षा अभियान	437.00	311.97	71.39
55			4202-04-800-0101-8799- छात्रावास भवनों का निर्माण	25.20	25.20	100
56	29	विधि और विधायी कार्य	2014-105-0101-1486- स्टेक होल्डर की सुविधाओं का उन्नयनीकरण	2.50	2.25	90.00
57			2014-105-0101-1487- स्केनिंग तथा अंकीकरण	3.25	2.15	66.15
58			2015-105-4311- संसद के लिये चुनाव कराने के प्रभार	8.84	5.16	58.37
59			2052-090-7389- वकीलों का कल्याण	7.00	3.67	52.43
60			2052-090-0101-9066- विधि विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण	2.43	2.04	83.95
61			7610-202-9246- न्यायिक सेवा के अधिकारियों को ऋण	0.10	0.10	100
62			2515-800-0103-1208- ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा	8.52	4.87	57.16
63			2515-800-0102-1208- ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा	10.53	5.76	54.70
64	33	आदिम जाति कल्याण	2225-02-001-0802-5155- योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद 275 (1)	25.00	24.09	96.36
65			2225-02-277-0102-6502- पोस्ट मेट्रिक छात्रावास	9.43	6.93	73.49
66			4225-02-800-0102-7746- स्कॉल डेवलपमेंट सेन्टर का निर्माण	10.00	10.00	100

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
67	34	सामाजिक न्याय	2235-60-110-0102-5247- आम आदमी बीमा योजना	5.40	4.35	80.56
68			2235-60-110-0102-5614- जनश्री बीमा योजना	10.50	10.50	100
69			2235-60-110-0101-5247- आम आदमी बीमा योजना	9.00	7.60	84.44
70			2235-60-110-0101-5614- जनश्री बीमा योजना	17.50	17.50	100
71	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	4851-800-0101-6481- ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अनुदान	1.00	0.81	81.00
72	44	उच्च शिक्षा	2202-03-103-6283- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत एरियर्स भुगतान	15.83	15.70	99.18
73			2202-03-103-1203-7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	10.00	6.51	65.10
74			2202-03-103-1202-7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	5.00	3.75	75.00
75			2202-03-103-1201-7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	1.80	1.66	92.22
76			2202-03-103-0103-0742- अनु. जाति / जनजाति विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था योजना	2.50	2.50	100
77			2202-03-103-0102-0742- अनु. जाति / जनजाति विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था योजना	2.00	2.00	100
78			2202-03-103-0101-7134- नवीन महाविद्यालय प्रांभ किये जाने हेतु अनुदान	5.37	3.49	64.99
79			4202-01-203-1203-7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	30.00	21.81	72.70
80			4202-01-203-1202-7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	39.00	28.36	72.72
81			4202-01-203-1201-7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	114.20	83.03	72.71
82			4202-01-203-0703-7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	37.00	28.33	76.57
83			4202-01-203-0702-7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	31.27	26.31	84.14
84			4202-01-203-0701-7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	146.73	104.54	71.25
85	45	लघु सिंचाई कार्य	4702-101-0701-6079- सुधार, सुदृढ़ीकरण, पुर्णस्थापना (आर.आर.आर.)	75.00	55.75	74.33
86	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2203-001-0702-7469- राष्ट्रीय हायर एजुकेशन मिशन	14.00	14.00	100
87			2203-104-0103-0820- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	80.00	64.00	80.00
88			2203-104-0102-0820- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	105.00	84.00	80.00

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
89			2203-104-0101-0820- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	315.00	252.00	80.00
90	48	नर्मदा घाटी विकास	2801-01-001-6818- सरदार सरोवर परियोजना के परिचालन एवं संधारण व्यय	20.00	11.00	55.00
91			4700-45-800-0703-9091-ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट	20.00	15.00	75.00
92	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01-277-0803-7765- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	40.00	35.61	89.03
93			2225-01-277-0603-0538- शिक्षित युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु अनुदान	5.00	3.65	73.00
94			2225-01-277-0103-8735-अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण पत्र का प्रदाय (लड़के/लड़कियां)	4.00	3.45	86.25
95	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-0703-1482- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माईक्रो इरिगेशन योजना	35.20	27.13	77.07
96			2401-119-0703-5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	14.83	11.54	77.82
97			2401-119-0702-5116- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	14.00	9.65	68.93
98			2401-119-0702-5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	19.50	16.60	85.13
99			2401-119-0102-0694- नर्मदा नदी के तट पर पर्यावरण सुधार एवं प्रदूषण निवारण	10.00	8.30	83.00
100			2401-119-0102-6496- उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अन्तर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना	10.50	10.50	100
101			2401-119-0102-6520- सागभाजी क्षेत्र विस्तार योजना	5.67	5.12	90.30
102			2401-119-0101-6520- सागभाजी क्षेत्र विस्तार योजना	18.13	10.26	56.59
103			2401-119-0101-6522- सागभाजी क्षेत्र विस्तार योजना	13.42	10.12	75.41
104			2401-119-0101-7370- शासकीय रोपणियों में प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	13.42	9.68	72.13
105	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2505-01-198-0703-6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	500.00	439.23	87.85
106			2515-800-0802-7886- मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन	40.00	28.02	70.05
107			3604-196-0103-0819- पंचायत उपकर से प्राप्त राशि से पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	21.00	11.81	56.24

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
108			3604-196-0102-0819- पंचायत उपकर से प्राप्त राशि से पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	27.56	15.38	55.81
109			3604-196-0101-0819- पंचायत उपकर से प्राप्त राशि से पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	82.69	45.00	54.42
110	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	2415-01-120-0101-9051- बोहानी जिला नरसिंहपुर में गन्ना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	0.50	0.50	100
111	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-9248- किशोरी शक्ति योजना	3.30	3.30	100
112			2235-02-102-0103-6442- अटल बाल आरोग्य मिशन	5.00	2.77	55.40
113			2235-02-102-0102-6442- अटल बाल आरोग्य मिशन	5.00	3.00	60.00
114			2235-02-102-0101-6442- अटल बाल आरोग्य मिशन	41.35	25.67	62.08
115			2235-02-102-0101-8808- सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	4.92	2.90	58.94
116			2235-02-103-0801-1327- वन स्टॉप सेन्टर (सखी)	4.92	4.92	100
117			2235-02-103-0703-6103- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी. एस.)	8.17	4.23	51.77
118			2235-02-103-0703-6917- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)	6.46	4.51	69.81
119			2235-02-103-0702-6917- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)	9.68	6.76	69.83
120			4235-02-102-0102-5360- आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण	27.00	20.16	74.67
121			4235-02-102-0101-5360- आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण	63.00	33.34	52.92
122			4235-02-800-0701-6103- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी. एस.)	1.00	1.00	100
123	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2215-01-101-0102-0545- प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	55.42	40.12	72.39
योग				3,969.53	3,053.36	76.92

(स्रोत: वर्ष 2017–18 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.10
वास्तविक बचतों से अधिक समर्पण (₹ 10 लाख या अधिक)
(संदर्भ: कंडिका 2.2.8; पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचत	समर्पित राशि	अधिक समर्पण
(क) राजस्व—दत्तमत						
1	25	खनिज साधन	62.47	29.88	30.09	0.21
2	56	ग्रामोद्योग	248.36	37.28	41.83	4.55
		योग (क)	310.83	67.16	71.92	4.76
(ख) पूंजीगत—दत्तमत						
3	1	सामान्य प्रशासन	49.51	5.68	6.77	1.09
4	24	लोक निर्माण कार्य सङ्केत और पुल	6,576.04	231.02	231.78	0.76
		योग (ख)	6,625.55	236.7	238.55	1.85
		महायोग (क+ख)	6,936.38	303.86	310.47	6.61

(स्रोत: 2017–18 के विनियोग लेख)

परिशिष्ट 2.11

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) हुईं, परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया
(संदर्भ: कड़िका 2.2.9; पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान/विनियोग संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
I-अनुदान			
(क) राजस्व (दत्तमत)			
1	5	जेल	4.61
2	7	वाणिज्यिक कर	336.90
3	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	228.00
4	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	20.05
5	16	मछली पालन	22.07
6	17	सहकारिता	273.69
7	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	24.60
8	32	जनसंपर्क	23.86
9	36	परिवहन	11.61
10	38	आयुष	47.63
11	43	खेल और युवक कल्याण	19.87
12	46	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	23.00
13	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	11.90
14	62	पंचायत	22.47
15	63	अल्प संख्यक कल्याण	6.58
16	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	142.02
17	68	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	8.37
18	69	घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	20.95
योग (क)			1,248.18
(ख) पूंजीगत (दत्तमत)			
19	6	वित्त	1,511.72
20	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	10.20
21	12	ऊर्जा	721.65
22	17	सहकारिता	17.55
23	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	154.11
24	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	32.46
25	38	आयुष	37.81
26	52	चिकित्सा शिक्षा विभाग	41.59
27	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	121.81
28	63	अल्प संख्यक कल्याण	1.95
29	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	98.40
30	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	8.70
31	69	घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	4.73
योग (ख)			2,762.68
(ग) राजस्व (प्रभारित)			
32	6	वित्त	17.62
33	12	ऊर्जा	69.87
योग (ग)			87.49
महायोग (क+ख+ग)			4,098.35

(स्रोत: वर्ष 2017–18 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.12
समर्पित नहीं की गई ₹ एक करोड़ या अधिक की बचतों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 2.2.9; पृष्ठ 38)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचतें	समर्पण	(₹ करोड़ में) बचतें जो समर्पित नहीं की गई
(क) राजस्व दत्तमत					
1	1	सामान्य प्रशासन	50.83	31.20	19.63
2	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	48.88	4.68	44.20
3	3	पुलिस	500.43	459.20	41.23
4	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	29.18	26.08	3.10
5	5	जेल	4.61	0.00	4.61
6	6	वित्त	3,115.23	0.17	3,115.06
7	7	वाणिज्यिक कर	336.90	0.00	336.90
8	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	228.00	0.00	228.00
9	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	20.05	0.00	20.05
10	10	वन	437.89	409.13	28.76
11	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	16.51	0.18	16.33
12	12	ऊर्जा	191.42	2.23	189.19
13	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	3,199.77	3,108.03	91.74
14	14	पशुपालन	225.34	223.47	1.87
15	16	मछली पालन	22.07	0.00	22.07
16	17	सहकारिता	273.69	0.00	273.69
17	18	श्रम	16.86	7.70	9.16
18	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	307.09	0.68	306.41
19	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	188.15	130.86	57.29
20	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	525.63	11.95	513.68
21	23	जल संसाधन विकास	241.20	177.05	64.15
22	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	351.48	334.11	17.37
23	26	संस्कृति	26.16	25.07	1.09
24	27	स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	974.93	491.94	482.99
25	29	विधि और विधायी कार्य	253.89	244.57	9.32
26	30	ग्रामीण विकास	113.92	111.12	2.80
27	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	24.60	0.00	24.60
28	32	जनसंपर्क	23.86	0.00	23.86
29	33	आदिम जाति कल्याण	481.55	406.34	75.21
30	34	सामाजिक न्याय	168.68	134.28	34.40
31	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	5.41	2.75	2.66
32	36	परिवहन	11.61	0.00	11.61
33	38	आयुष	47.63	0.00	47.63
34	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	54.75	3.01	51.74
35	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	363.81	8.16	355.65
36	43	खेल और युवक कल्याण	19.87	0.00	19.87
37	44	उच्च शिक्षा	196.97	93.78	103.19
38	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	32.22	29.10	3.12
39	46	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	23.00	0.00	23.00
40	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	716.88	414.45	302.43
41	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	292.30	289.35	2.95
42	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	11.90	0.00	11.90

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचतें	समर्पण	बचतें जो समर्पित नहीं की गई
43	52	चिकित्सा शिक्षा विभाग	100.50	0.19	100.31
44	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2,612.97	2,192.55	420.42
45	55	महिला एवं बाल विकास	525.18	523.57	1.61
46	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	884.84	6.80	878.04
47	62	पंचायत	22.47	0.00	22.47
48	63	अल्प संख्यक कल्याण	6.58	0.00	6.58
49	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	683.90	75.13	608.77
50	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	142.02	0.00	142.02
51	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	174.59	91.92	82.67
52	68	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	8.37	0.00	8.37
53	69	विमुक्त, घुमककड़ एवं अर्द्ध घुमककड़ जाति कल्याण	20.95	0.00	20.95
योग (क)			19,357.52	10,070.80	9,286.72
(ख) पूंजीगत दत्तमत					
54	6	वित्त	1,511.72	0.00	1,511.72
55	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	30.44	0.05	30.39
56	9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	10.20	0.00	10.20
57	10	वन	18.37	17.15	1.22
58	12	ऊर्जा	721.65	0.00	721.65
59	14	पशुपालन	12.76	8.26	4.50
60	17	सहकारिता	17.55	0.00	17.55
61	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	154.11	0.00	154.11
62	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	667.09	603.19	63.90
63	21	लोक सेवा प्रबंधन	10.31	8.45	1.86
64	22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	894.35	2.57	891.78
65	23	जल संसाधन विभाग	1,052.06	997.69	54.37
66	27	स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	515.58	502.85	12.73
67	30	ग्रामीण विकास	768.29	587.02	181.27
68	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	32.46	0.00	32.46
69	33	आदिम जाति कल्याण	669.76	592.98	76.78
70	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	19.29	2.00	17.29
71	36	परिवहन	31.11	0.59	30.52
72	38	आयुष	37.81	0.00	37.81
73	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	251.06	2.00	249.06
74	43	खेल और युवक कल्याण	29.36	0.05	29.31
75	44	उच्च शिक्षा	386.97	299.38	87.59
76	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	19.06	7.83	11.23
77	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	97.52	0.11	97.41
78	48	नर्मदा घाटी विकास	492.12	432.50	59.62
79	49	अनुसूचित जाति कल्याण	58.35	54.86	3.49
80	52	चिकित्सा शिक्षा विभाग	41.59	0.00	41.59
81	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	214.48	0.06	214.42
82	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	20.28	19.28	1.00
83	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	121.81	0.00	121.81
84	63	अल्प संख्यक कल्याण	1.95	0.00	1.95

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचतें	समर्पण	बचतें जो समर्पित नहीं की गई
85	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	98.40	0.00	98.40
86	66	पिछ़ड़ा वर्ग कल्याण	8.70	0.00	8.70
87	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	150.29	110.70	39.59
88	69	विमुक्त, घुमककड़ एवं अद्वै घुमककड़ जाति कल्याण	4.73	0.00	4.73
योग (ख)			9,171.58	4,249.57	4,922.01
(ग) राजस्व प्रभारित					
89	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	495.39	8.99	486.40
90	6	वित्त	17.62	0.00	17.62
91	12	ऊर्जा	69.87	0.00	69.87
92	25	खनिज साधन	650.05	0.05	650.00
93	29	विधि और विधायी कार्य	37.59	35.37	2.22
योग (ग)			1,270.52	44.41	1,226.11
(घ) पूँजीगत प्रभारित					
94	पी.डी.	लोक ऋण	3,769.89	6.09	3,763.80
योग (घ)			3,769.89	6.09	3,763.80
महायोग (क+ख+ग+घ)			33,569.51	14,370.87	19,198.64

(स्रोत: वर्ष 2017–18 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.13
सर्वपण आदेश जो महालेखाकार द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये
(संदर्भ: कंडिका 2.2.9.1; पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	स्वीकृति यों की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	राशि	अनियमितताओं का विवरण
1	44	2, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 60	2,347.20	वित्त वर्ष 2017–18 की समाप्ति के पश्चात् स्वीकृति जारी की गई थीं।
2	21	7, 11, 17, 19, 20, 22, 32, 42, 43, 47, 53, 56, 64, 66, 67	3,108.07	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति अर्थात् लेखों को बंद करने एवं अंतिम रूप देने के पश्चात्।
3	4	10, 27, 36, 38	86.61	योजनाओं का सम्पूर्ण विवरण प्राप्त न होना।
4	3	18, 23	27.05	चाही जानकारी प्राप्त न होने के कारण।
5	1	23	0.32	स्वीकृति पत्र में विसंगति के कारण।
6	1	38	2.68	बजट में विसंगति के कारण।
योग	74	44	5,571.93	

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश, द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.14

**पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत राजस्व अनुभाग का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ
बजट प्रावधान हैं एक करोड़ या अधिक था**
(संदर्भ: कंडिका 2.2.10; पृष्ठ 39)

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 11—वेतन, भत्ते				
1	20	4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	16.25	14.86
2	23	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	86.86	64.10
3	48	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	105.90	103.70
4	48	4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4.50	4.44
5	48	4801—विजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	54.32	54.78
योग (उद्देश्य शीर्ष 11—वेतन, भत्ते)			267.83	241.88
उद्देश्य शीर्ष 12—मजदूरी				
6	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	266.72	266.66
7	20	4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	7.00	4.21
8	23	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	51.02	47.88
9	23	4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	6.35	5.24
10	48	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	36.41	36.81
11	48	4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3.34	3.29
12	48	4801—विजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	10.31	10.17
योग (उद्देश्य शीर्ष 12—मजदूरी)			381.15	374.26
उद्देश्य शीर्ष 21—यात्रा भत्ता				
13	48	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1.34	1.34
योग (उद्देश्य शीर्ष 21—यात्रा भत्ता)			1.34	1.34
उद्देश्य शीर्ष 22—कार्यालय व्यय				
14	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	4.21	4.34
15	48	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1.76	1.40
16	48	4801—विजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.74	2.21
योग (उद्देश्य शीर्ष 22—कार्यालय व्यय)			8.71	7.95
उद्देश्य शीर्ष 24—परीक्षा और प्रशिक्षण				
17	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	1.76	1.92
योग (उद्देश्य शीर्ष 24—परीक्षा और प्रशिक्षण)			1.76	1.92
उद्देश्य शीर्ष 31—वाणिज्यिक सेवाओं का भुगतान				
18	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	1.61	1.81
19	48	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4.93	4.17
20	48	4801—विजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.27	3.39
योग (उद्देश्य शीर्ष 31—वाणिज्यिक सेवाओं का भुगतान)			10.81	9.37
उद्देश्य शीर्ष 33—रखरखाव				
21	26	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4.00	4.00
22	48	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	90.44	69.50
23	48	4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1.99	1.83
24	48	4801—विजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3.96	3.72
योग (उद्देश्य शीर्ष 33—रखरखाव)			100.39	79.05
उद्देश्य शीर्ष 42—सहायता अनुदान				
25	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	15.00	15.00
26	20	4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	10.00	9.00
27	30	4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	195.00	195.00
28	37	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	13.50	13.50
29	52	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	2.50	0.27
योग (उद्देश्य शीर्ष 42—सहायता अनुदान)			236.00	232.77

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश, द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.15

राजस्व अनुभाग के अंतर्गत मशीन एवं वृहद् कार्य का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ
बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था
(संदर्भ: कंडिका 2.2.10; पेज 39)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 63—मशीन				
1	1	2015—चुनाव	1.22	1.22
2	3	2055—पुलिस	160.93	160.72
3	6	2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन	6.73	7.85
4	7	2039—राज्य उत्पाद शुल्क	13.86	0.00
5	8	2029—भू—राजस्व	14.73	0.25
6	17	2425—सहकारिता	1.03	0.95
7	19	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	40.15	33.20
8	29	2014—न्यायिक प्रशासन	4.67	2.71
9	32	2220—सूचना तथा प्रचार	2.50	2.49
10	39	2408—खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार	2.03	1.38
11	43	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	8.38	7.45
12	44	2202—सामान्य शिक्षा	44.70	44.39
13	47	2203—तकनीकी शिक्षा	3.51	1.38
14	47	2230—श्रम तथा रोजगार	75.43	28.04
15	52	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	17.46	11.36
16	56	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग	2.86	3.35
17	64	2217—शहरी विकास	13.00	12.36
योग (उद्देश्य शीर्ष 63—मशीन)			413.19	319.10
उद्देश्य शीर्ष 64—वृहद् कार्य				
18	20	2215—जल पूर्ति तथा सफाई	13.46	11.91
19	39	3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1.75	1.77
योग (उद्देश्य शीर्ष 64—वृहद् कार्य)			15.21	13.68

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश, द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.16
व्यय की अत्यधिकता
(संदर्भ: कंडिका 2.2.11; पृष्ठ 39)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना संख्या	जनवरी–मार्च 2018 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2018 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी–मार्च 2018	मार्च 2018
1	आई.पी.–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6876	41.80	41.80	41.76	100	100
2	11– वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	7140	22.16	22.16	22.16	100	100
3	12–ऊर्जा	9023	238.48	238.48	238.48	100	100
4	12–ऊर्जा	1933	1050.69	1050.69	1050.69	100	100
5	13– किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1920	40.00	40.00	40.00	100	100
6	23–जल संसाधन विभाग	1905	48.05	48.05	48.05	100	100
7	27– स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	6484	192.60	192.60	192.60	100	100
8	27– स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	6813	26.70	26.70	26.70	100	100
9	37–पर्यटन	7404	15.00	15.00	15.00	100	100
10	37–पर्यटन	6316	53.56	53.56	53.56	100	100
11	47– तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	7490	22.97	22.97	22.97	100	100
12	58–प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	0475	967.00	967.00	967.00	100	100
13	64– नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1325	229.75	229.75	229.75	100	100
योग			2,948.76	2,948.76	2,948.76		

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश, द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.17

8443- सिविल जमा—800—अन्य जमा में निधियों का अंतरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक (संदर्भ: कंडिका 2.2.12; पृष्ठ 40)

(₹ लाख में)

सं. क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	विस्तृत शीर्ष तक लेखा का शीर्ष तथा योजना का नाम	कुल बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	किया गया व्यय	8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में अंतरित राशि
1	2	3	4	5	6
1	13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-800-0801-0908- कृषि संगणना	727.83	146.59	70.00
2	29- विधि और विधायी कार्य	2014-102-0101-0573- उच्च न्यायलय (भारित)	785.40	547.80	400.00
3	33- आदिम जाति कल्याण	4225-02-800-0602-5211- एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के तहत स्थानीय विकास कार्यक्रम	44,880.39	26,858.98	707.70
4	47- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2230-03-001-0801-7490- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	2,560.00	2,296.95	2,146.66
5	55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-0658- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	52,413.06	48,487.80	858.03
6	55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0702-0658- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	28,490.85	22,151.83	400.01
7	55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0703-0658- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	18,994.76	13,607.44	135.59
8	55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-103-0701-6917 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	13,878.37	8,259.41	754.47
9	67- लोक निर्माण कार्य—भवन	4059-01-051-0701-1936- न्यायतंत्र का सशक्तीकरण	2,500.00	2,467.93	2,450.00
10	67- लोक निर्माण कार्य—भवन	4216-01-106-0701-1936- न्यायतंत्र का सशक्तीकरण	1,500.00	1,450.00	1,450.00
योग			1,66,730.66	1,26,274.73	9,372.46

(स्रोत: वर्ष 2017–18 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.18

विभिन्न योजनाओं में सारभूत बचतें, जहाँ बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक थी
(संदर्भ: कंडिका 2.3.2; पृष्ठ 41)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	योजना का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	बचतें	प्रतिशत
1	2501-06-198-6836-0702-V-42-009-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	108.67	38.85	36
2	2216-03-198-5198-0701-V-42-009- प्रधानमंत्री आवास योजना	3,056.57	303.26	10
3	2216-03-198-5198-0702-V-009- प्रधानमंत्री आवास योजना	3,056.57	303.26	10
4	2216-03-198-5198-0703--V-009- प्रधानमंत्री आवास योजना	1,378.28	151.63	11
5	2505-01-198-6923-0702-V-42-009- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	400.00	43.05	11
6	2505-01-198-6923-0703-V-42-009- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	1,100.00	439.23	40
7	2215-02-198-5206-0701-V-42-009- स्वच्छ भारत मिशन	1,420.22	117.81	8
8	2215-02-198-5206-0702-V-42-009- स्वच्छ भारत मिशन	698.59	156.46	22
9	2215-02-198-5206-0703- V-42-009- स्वच्छ भारत मिशन	551.71	122.02	22
10	2515-00-198-6931-0701-V-42-001- मिड-डे मील प्रोग्राम	178.20	47.03	26
11	2515-00-198-7886-0801-V-42-001- मिड-डे मील प्रोग्राम, सामग्री परिवहन	36.00	17.15	48
12	2515-00-198-7886-0802-V-009 मिड-डे मिल प्रोग्राम, सामग्री परिवहन	36.00	28.02	78
13	2216-03-198-5131-0102-V-42-009- मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना	14.40	14.40	100
14	2216-03-198-5131-0103- V-42-009- मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना	15.87	15.87	100
15	4515-00-800-6084-0422-V-32- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना योजना	63.00	38.01	60
16	4515-00-800-6084-0103-V-32- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना योजना	158.00	45.06	29
17	2515-00-198-0647-0701-V-007- ग्राम स्वराज अभियान	18.67	18.67	100
18	2515-00-198-0647-0702-V-007- ग्राम स्वराज अभियान	11.49	11.49	100
19	3604-00-197-4610-0101-V-42-008- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	240.8	13.55	6
20	3604-00-197-4610-0103-V-42-008- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	61.16	10.57	17
21	2853-02-198-6299-0101-V-007- ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	214.48	18.28	9
22	3604-00-196-0819-0101-V-42-007- पंचायत उपकर से प्राप्त राशि से पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	82.69	60.50	73
23	3604-00-196-0819-0102-V-42-007- पंचायत उपकर से प्राप्त राशि से पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	27.56	20.14	73
24	3604-00-196-0819-0103-V-42-007- पंचायत उपकर से प्राप्त राशि से पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	21.00	15.34	73
25	2225-01-196-4717- अनुसूचित जाति छात्रावास	130.00	20.66	16
26	2202-01-789-3496- मध्यमिक विद्यालय	263.00	12.47	5
27	2225-02-789-0494- आश्रम	88.15	12.98	15
28	2235-60-789-198-5863- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	312.39	14.04	4
29	2235-198-9142- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	378.75	49.38	13
30	2235-198-8786- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	384.19	34.08	9
	योग	14,506.41	2,193.25	15

परिशिष्ट 2.19
व्यक्तिगत जमा खातों में रखे योजनाओं की निधि का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 42)

संक्र.	योजना का नाम	आहरित आदेश और दिनांक	राशि (₹ लाख में)
1	1213- प्रधानमंत्री आवास योजना	4407-08/28.03.2018	26.76
2	1221-0101- 14वां वित्त आयोग अनुदान	4512-13/31.03.2018	17,450.75
3	1221-0102- 14वां वित्त आयोग अनुदान	4514-15/31.03.2018	8,525.00
4	1221-0103- 14वां वित्त आयोग अनुदान	4516-17/31.03.2018	4,107.25
5	4610-197-0101- स्टाम्प शुल्क	4506-07/31.03.2018	2,782.65
6	4610-197-0102- स्टाम्प शुल्क	4508-09/31.03.2018	1,886.25
7	4610-197-0103- स्टाम्प शुल्क	4510-11/31.03.2018	317.07
8	4610-197-0103- स्टाम्प शुल्क	4371-72/28.03.2018	552.25
9	6098-0103- पंचायत भवन निर्माण	4417/28.03.2018	21.00
10	6086-0101- अधोसंरचना विकास	4427/28.03.2018	87.00
11	6086-0102- अधोसंरचना विकास	4429/28.03.2018	352.00
12	6086-0103- अधोसंरचना विकास	4431/28.03.2018	204.00
13	6087-0101- संरक्षण ग्रांट	4433-34/28.03.2018	630.00
14	6087-0102- संरक्षण ग्रांट	4445/28.03.2018	210.00
15	6087-0103- संरक्षण ग्रांट	4447-48/28.03.2018	160.00
16	6093- नल जल योजना	4411-12/28.03.2018	400.00
17	6098-0101- पंचायत भवन निर्माण	4413/28.03.2018	100.00
18	6098-0102- पंचायत भवन निर्माण	4415/28.03.2018	30.00
19	6107-0101- सामान्य उद्देश्य	4518-19/31.03.2018	30.29
20	6107-0102- सामान्य उद्देश्य	4520-21/31.03.2018	15.92
21	6107-0103- सामान्य उद्देश्य	4522-23/31.03.2018	12.46
22	6299-0101- खनिज योजना	4500-01/31.03.2018	133.24
23	6299-0101- खनिज योजना	4449-50/28.03.2018	197.11
24	6299-0102- खनिज योजना	4451-52/28.03.2018	1.40
25	6299-0103- खनिज योजना	4453-54/28.03.2018	347.33
26	0658- आंगड़बाड़ी योजना	4369-70/28.03.2018	6,450.00
27	7668-0101- राज्य वित्त आयोग अनुदान	4375-76/28.03.2018	4,694.37
28	7668-0101- राज्य वित्त आयोग अनुदान	4524-25/31.03.2018	20.00
29	7668-0102- राज्य वित्त आयोग अनुदान	4377-78/28.03.2018	2,995.09
30	7668-0103- राज्य वित्त आयोग अनुदान	4379-80/28.03.2018	1,023.38
31	8209-196-8888- जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय	4502-03/31.03.2018	3.21
32	8209-197-8888- जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय	4504-05/31.03.2018	5.75
33	8214-8888- सचिवालयीन व्यवस्था	4526-27/31.03.2018	84.09
34	8392-8888- जिला पंच सम्मेलन	4498-99/31.03.2018	0.12
	योग		53,855.74

परिशिष्ट 3.1
31 मार्च 2018 की स्थिति में व्यक्तिगत जमा खातों में अन्तर
(संदर्भ: कंडिका 3.2.3; पृष्ठ 47)

(राशि ₹ में)

स.क्र.	व्यक्तिगत जमा खाताधारक का नाम	महालेखाकार के अभिलेख के अनुसार शेष	कोषालय के अभिलेख के अनुसार शेष	अन्तर
1	किराया नियंत्रण अधिकारी, इन्दौर	46,00,618	46,03,170	-2,552
2	प्राचार्य, आई.टी.आई., इन्दौर	26,63,131	26,88,936	-25,805
3	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इन्दौर	72,24,812	19,45,512	52,79,300
4	दिव्यांग कल्याण संघ, इन्दौर	71,806	0	71,806
5	मध्य प्रदेश नेत्रहीन संघ, इन्दौर	15,25,376	13,647	15,11,729
6	श्रम आयुक्त, इन्दौर	1,86,34,345	3,04,47,538	-1,18,13,193
7	कृषि अभियंता, इन्दौर	2,66,164	0	2,66,164
8	अतिरिक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, इन्दौर	7,36,841	0	7,36,841
9	परीक्षा नियंत्रक, लोक सेवा आयोग, इन्दौर	9,13,842	0	9,13,842
10	अध्यक्ष, नेहरू केन्द्र, लालबाग, इन्दौर	1,08,861	0	1,08,861
11	जिलाध्यक्ष, इन्दौर	13,24,24,282	0	13,24,24,282
12	जिलाध्यक्ष / अधीक्षक, केन्द्रीय जेल	1,72,60,280	1,72,47,620	12,660
13	जिलाध्यक्ष / अधीक्षक, जिला जेल	67,15,991	51,81,340	15,34,651
14	संभागीय वन अधिकारी, इन्दौर	-89,63,349	8,98,795	-98,62,144
15	उप संचालक, उद्यान, इन्दौर	8,000	0	8,000
16	संचालक, पुनर्वास, नर्मदा घाटी विकास अभिकरण, इन्दौर	1,46,57,42,146	0	1,46,57,42,146
17	कोषालय अधिकारी, इन्दौर	56,385	0	56,385
18	श्रम उपायुक्त, इन्दौर	52,78,948	0	52,78,948
19	उप निदेशक वास्ते निदेशक, नर्मदा घाटी विकास अभिकरण, इन्दौर सिटी	6,37,77,195	0	6,37,77,195
20	प्रबन्धक, कुकुट पालन फार्म, इन्दौर	74,96,805	79,35,521	-4,38,716
21	महिला आई.टी.आई., इन्दौर	1,06,900	51,07,400	-50,00,500
22	आर.पी.आई., शासकीय महाविद्यालय, आर.ए.यू.आई.एन.सी.	57,900	0	57,900
23	बाल शिक्षा मंदिर, इन्दौर	1,28,127	0	1,28,127
योग		1,72,68,35,406	7,60,69,479	1,65,07,65,927

परिशिष्ट 3.2

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण (मण्डल) में लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की स्थिति (संदर्भ: कंडिका 3.3.5; पृष्ठ 50)

(₹ लाख में)

स.क्र.	जिला कार्यालय	प्रारम्भ से आवंटन	प्रदायित उपयोगिता प्रमाण—पत्र	31 मार्च 2018 की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र
1	कटनी	2,753.95	1,546.63	1,207.32
2	छिन्दवाड़ा	3,135.45	267.57	2,867.88
3	मंडला	1,847.05	1,797.58	49.47
4	जबलपुर	4,715.15	2,432.25	2,282.90
5	सिवनी	2,479.85	2,428.05	51.80
6	नरसिंहपुर	1,977.45	1,739.11	238.34
7	देवास	2,634.45	1,841.73	792.72
8	मंदसौर	4,472.25	3,644.48	827.77
9	रतलाम	2,825.45	2,137.51	687.94
10	नीमच	4,688.15	4,293.45	394.70
11	शाजापुर	1,880.69	1,717.30	163.39
12	आगर मालवा	535.00	355.00	180.00
13	सागर	3,583.45	2,366.91	1,216.54
14	छतरपुर	2,793.26	2,384.93	408.33
15	दमोह	2,617.65	2,267.49	350.16
16	पन्ना	2,614.25	2,461.82	152.43
17	टीकमगढ़	2,183.45	1,673.49	509.96
18	सीधी	1,225.85	1,207.74	18.11
19	सिंगरौली	3,120.25	1,320.26	1,799.99
20	सतना	2,129.95	349.72	1,780.23
21	रीवा	2,879.05	2,199.59	679.46
22	शहडोल	1,588.40	743.97	844.43
23	उमरिया	1,774.85	1,774.74	0.11
24	अनूपपुर	2,467.70	2,393.03	74.67
25	डिंडौरी	1,272.65	764.00	508.65
26	बैतूल	1,311.80	1,275.21	36.59
27	विदिशा	1,681.65	1,481.65	200.00
28	मंडीदीप (रायसेन)	1,151.65	87.99	1,063.66
29	राजगढ़	1,588.45	971.94	616.51
30	भोपाल	4,147.65	1,659.64	2,488.01
31	सीहोर	769.25	614.98	154.27
32	ग्वालियर	2,755.05	1,519.88	1,235.17
33	शिवपुरी	1,467.55	1,416.09	51.46
34	गुना	789.25	32.35	756.90
35	अशोकनगर	1,644.05	657.41	986.64
36	मुरैना	3,229.65	0.00	3,229.65
37	भिण्ड	768.20	385.99	382.21
38	मलनपुर (भिण्ड)	224.25	26.04	198.21
39	श्योपुर	461.85	406.31	55.54
40	इंदौर	1,811.05	1,615.19	195.86

संक्र.	जिला कार्यालय	प्रारम्भ से आवंटन	प्रदायित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	31 मार्च 2018 की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र
41	बुरहानपुर	1,717.65	1,581.26	136.39
42	धार	1,306.85	1,253.00	53.85
43	खरगौन	1,367.05	744.53	622.52
44	झावुआ	4,084.65	3,667.22	417.43
45	बड़वानी	681.65	615.79	65.86
46	होशंगाबाद	1,712.65	1,458.49	254.16
47	हरदा	646.85	389.72	257.13
योग		99,514.35	67,969.03	31,545.32

परिशिष्ट 3.3
लघु शीर्ष '800—अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत पुस्तांकन
(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 51)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत प्राप्तियाँ	प्रतिशत
1	0029—भू—राजस्व	490.99	210.94	42.96
2	0030—स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4,788.51	517.72	10.81
3	0035—कृषि भूमि से भिन्न अचल संपत्ति पर कर	643.72	336.59	52.29
4	0039—राज्य उत्पाद शुल्क	8,245.01	4,343.45	52.68
5	0043—विद्युत कर तथा शुल्क	2,590.29	547.07	21.12
6	0049—ब्याज प्राप्तियाँ	639.11	98.36	15.39
7	0055—पुलिस	124.33	65.00	52.28
8	0056—जेल	3.86	3.83	99.22
9	0059—लोक निर्माण कार्य	124.83	124.66	99.86
10	0070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं	132.67	33.23	25.05
11	0071—पेशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली	47.93	8.01	16.71
12	0210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	128.98	46.75	36.25
13	0211—परिवार कल्याण	0.19	0.18	94.74
14	0215—जलपूर्ति तथा सफाई	17.25	9.77	56.64
15	0217—शहरी विकास	18.41	18.41	100
16	0220—सूचना तथा प्रचार	0.23	0.21	91.30
17	0230—श्रम तथा रोजगार	26.63	4.42	16.60
18	0235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	24.14	22.74	94.20
19	0401—फसल कृषि—कर्म	48.88	33.86	69.27
20	0403—पशुपालन	4.89	4.14	84.66
21	0404—डेयरी विकास	0.05	0.05	100
22	0405—मछली पालन	9.49	1.05	11.06
23	0406—वानिकी तथा वन्य जीवन	1,108.28	325.45	29.37
24	0408—खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	0.12	0.02	16.67
25	0425—सहकारिता	12.73	2.46	19.32
26	0435—अन्य कृषि कार्यक्रम	2.08	1.93	92.79
27	0515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	11.13	6.79	61.01
28	0700—मुख्य सिंचाई	25.49	9.30	36.48
29	0701—मध्यम सिंचाई	144.21	20.16	13.98
30	0702—लघु सिंचाई	354.20	354.20	100
31	0810—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	7.16	6.05	84.50
32	0851—ग्राम तथा लघु उद्योग	15.08	10.60	70.29
33	0853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3,640.73	1,658.08	45.54
34	0875—अन्य उद्योग	0.05	0.02	40
35	1452—पर्यटन	53.56	53.56	100
36	1601—केन्द्र सरकार से सहायतानुदान	25,346.82	23,650.94	93.30
	योग	48,832.03	32,530.00	

(स्रोत: वर्ष 2017–18 के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 3.4
लघु शीर्ष '800—अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकन
(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 51)

₹ करोड़ में

संख्या	मुख्य शीर्षवार विवरण	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय	प्रतिशतता
1	2075—विविध सामान्य सेवाएं	23.51	22.71	96.60
2	2204—खेलकूद तथा युवा कल्याण सेवाएं	180.07	124.61	69.20
3	2216—आवास	8,550.64	1,332.00	15.58
4	2217—शहरी विकास	5,683.93	4,350.01	76.53
5	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,356.73	377.79	11.25
6	2245—प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	1,131.12	236.91	20.94
7	2250—अन्य सामाजिक सेवाएं	221.10	205.31	92.86
8	2401—फसल कृषि कर्म	5,784.37	1,977.79	34.19
9	2403—पशुपालन	789.05	81.06	10.27
10	2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4,794.59	798.57	16.66
11	2700—मुख्य सिंचाई	172.18	20.09	11.67
12	2701—मध्यम सिंचाई	295.99	104.65	35.36
13	2702—लघु सिंचाई	169.00	159.00	94.08
14	2705—कमान क्षेत्र विकास	8.16	4.55	55.76
15	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग	985.38	678.71	68.88
16	2852—उद्योग	629.56	629.38	99.97
17	3054—सड़क तथा सेतु	1,102.25	255.36	23.17
18	3454—जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	108.72	64.17	59.02
19	4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8.86	8.86	100
20	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	688.34	74.58	10.83
21	4215—जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,826.15	963.87	52.78
22	4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	493.25	55.52	11.26
23	4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1,061.28	540.79	50.96
24	4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	3.08	0.46	14.94
25	4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	2,186.54	1,564.54	71.55
26	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5,103.79	4,217.40	82.63
27	4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,403.48	1,247.21	88.87
28	4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,195.37	479.28	40.09
29	4852—लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3.85	3.85	100
30	4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.97	1.97	100
31	4875—अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3.40	3.40	100
32	5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	6,392.33	2,823.54	44.17
33	5055—सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	5.42	5.42	100
34	5425—अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	4.00	4.00	100
योग		54,367.46	23,417.36	

(स्रोत: वर्ष 2017–18 के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 3.5
लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की मुख्य शीर्षवार स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 3.6; पृष्ठ 53)

₹ करोड़ में

सं. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र	
		संख्या	राशि
1	2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	30	1.29
2	2014—न्याय प्रशासन	375	1.55
3	2029—भू—राजस्व	104	1.20
4	2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	04	0.17
5	2047—अन्य राजकोषीय सेवाएं	04	0.01
6	2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं	93	87.72
7	2055—पुलिस	12	1.76
8	2075—विविध सामान्य सेवाएं	532	4.95
9	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	05	10.78
10	2205—कला तथा संस्कृति	01	0.15
11	2215—जलपूर्ति तथा सफाई	538	21.17
12	2217—शहरी विकास	684	321.34
13	2220—सूचना तथा प्रचार	35	1.50
14	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	79	306.42
15	2230—श्रम तथा रोजगार	1,269	44.61
16	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,143	748.03
17	2236—पोषण	09	86.65
18	2250—अन्य सामाजिक सेवाएं	06	22.94
19	2401—फसल कृषि—कर्म	3,090	439.99
20	2403—पशुपालन	495	201.86
21	2405—मछली पालन	3,536	11.12
22	2408—खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	1,585	4,577.27
23	2425—सहकारिता	644	251.80
24	2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	35	1,021.62
25	2505—ग्राम रोजगार	34	158.42
26	2702—लघु सिंचाई	280	12.55
27	2810—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	28	23.36
28	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग	657	217.45
29	2852—उद्योग	2,987	187.07
30	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	849	233.46
31	3452—पर्यटन	185	81.05
32	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1,268	8,711.00
33	4402—मुद्रा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	11	1.25
34	6425—सहकारिता के लिए कर्ज	59	1.70
योग		20,666	17,793.21

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—I, मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.6
दुर्विनियोग, हानि एवं गबन इत्यादि के प्रकरण
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 54)

(₹ लाख में)

संक्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष तक		15 से 20 वर्ष तक		20 से 25 वर्ष तक		25 वर्ष और अधिक		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2014—न्याय प्रशासन	03	11.34	-	-	01	2.41	-	0.00	01	0.44	-	-	05	14.19
2	2015—निर्वाचन	-	-	01	7.90	-	-	-	-	01	3.77	-	-	02	11.67
3	2040—वाणिज्यिक कर	01	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.70
4	2054—कोषालय एवं लेखा प्रशासन	-	-	05	799.21	-	-	-	-	01	18.25	05	12.97	11	830.43
5	2055—पुलिस	133	182.95	70	32.10	73	30.36	24	21.78	5	7.25	4	4.92	309	279.36
6	2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण	01	8.41	-	-	-	-	-	-	01	0.17	-	-	02	8.58
7	2202—सामान्य शिक्षा	09	269.60	23	226.12	22	176.87	09	12.05	03	1.21	37	27.09	103	712.94
8	2203—तकनीकी शिक्षा	04	28.25	03	2.57	09	23.77	01	1.03	-	-	-	-	17	55.62
9	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	02	3.75	01	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	03	4.20
10	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	01	2.29	02	8.11	02	13.89	02	5.45	02	21.21	05	9.99	14	60.94
11	2211—परिवार कल्याण	01	43.99	-	-	-	-	-	-	-	-	02	3.67	03	47.66
12	2215—जल पूर्ति तथा सफाई	-	-	02	2.23	02	2.20	01	0.48	-	-	-	-	05	4.91
13	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	01	3.99	05	4.83	06	8.82

सं. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष तक		15 से 20 वर्ष तक		20 से 25 वर्ष तक		25 वर्ष और अधिक		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
14	2230—श्रम तथा रोजगार	05	7.71	05	2.25	01	0.05	02	6.89	-	-	-	-	13	16.90
15	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	02	9.16	-	-	01	1.31	01	4.04	-	-	03	1.62	07	16.13
16	2401—फसल कृषि—कर्म	12	55.18	09	14.51	04	4.63	-	-	-	-	03	0.47	28	74.79
17	2403—पशुपालन	-	-	04	4.91	04	1.37	01	0.24	06	6.66	05	5.89	20	19.07
18	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	723	300.03	113	392.51	184	222.61	346	301.74	257	132.35	1,113	253.71	2,736	1,602.95
19	2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	-	-	-	-	01	42.31	01	0.90	02	3.34	-	-	04	46.55
20	2505—ग्राम रोजगार	01	0.00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.00*
21	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	03	4.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03	4.22
22	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	01	8.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	8.56
23	नर्मदा धाटी विकास विभाग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.47	01	0.47
योग		902	936.14	238	1,492.87	304	521.78	388	354.60	280	198.64	1,183	325.63	3,295	3,829.66

(चोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

*नगण्य

परिशिष्ट 3.7
सरकारी सामग्रियों की चोरी, दुर्विनियोग, हानि के प्रकरण
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 54)

(₹ लाख में)

संक्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग/सरकारी सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2014—न्याय प्रशासन	04	5.16	01	9.03	05	14.19
2	2015—निर्वाचन	01	7.90	01	3.77	02	11.67
3	2040—वाणिज्यिक कर	-	-	01	0.70	01	0.70
4	2054—कोषालय एवं लेखा प्रशासन	04	447.59	07	382.84	11	830.43
5	2055—पुलिस	16	19.73	293	259.63	309	279.36
6	2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण	-	-	02	8.58	02	8.58
7	2202—सामान्य शिक्षा	43	76.87	60	636.08	103	712.95
8	2203—तकनीकी शिक्षा	11	12.46	06	43.16	17	55.62
9	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	01	0.45	02	3.75	03	4.20
10	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	04	6.76	10	54.18	14	60.94
11	2211—परिवार कल्याण	-	-	03	47.66	03	47.66
12	2215—जल पूर्ति तथा सफाई	03	2.71	02	2.20	05	4.91
13	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	01	3.99	05	4.83	06	8.82
14	2230—श्रम तथा रोजगार	09	3.84	04	13.06	13	16.90
15	2235—महिला एवं बाल कल्याण	03	2.47	04	13.66	07	16.13
16	2401—फसल कृषि-कर्म	15	9.88	13	64.91	28	74.79
17	2403—पशुपालन	08	7.16	12	11.91	20	19.07
18	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	41	12.02	2,695	1,590.93	2,736	1,602.95
19	2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	01	0.44	03	46.11	04	46.55
20	2505—ग्राम रोजगार	-	-	01	नगण्य	01	नगण्य
21	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	01	0.12	02	4.10	03	4.22
22	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	-	-	01	8.56	01	8.56
23	नर्मदा घाटी विकास विभाग	01	0.47	-	-	01	0.47
योग		167	620.02	3,128	3,209.65	3,295	3,829.66

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.8
2017–18 के दौरान अपलेखित प्रकरण
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 55)

(₹ लाख में)

संक्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	अपलेखन की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2040—वाणिज्यिक कर	अतिरिक्त पीसीसी वित्त एवं बजट, भोपाल	हानि की वसूली न होने के कारण, विभाग द्वारा अपलेखित प्रकरण	01	0.14
2	2055—पुलिस	महानिदेशक पुलिस, भोपाल	दुर्घटनाग्रस्त मोटर वाहन एवं वायरलेस	26	10.03
3	2202—सामान्य शिक्षा	संचालक, लोक शिक्षा, भोपाल	चोरी के कारण हानि	02	0.15
4	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	अतिरिक्त पीसीसी, वित्त एवं बजट, भोपाल	हानि की वसूली न होने के कारण, विभाग द्वारा अपलेखित प्रकरण	50	4.82
5	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	अतिरिक्त पीसीसी, वित्त एवं बजट, भोपाल	हानि की वसूली न होने के कारण, विभाग द्वारा अपलेखित प्रकरण	02	0.20
6	नमदा धाटी विकास विभाग (एन.डी.डी.ए.)	मुख्य अभियंता, एन.डी.ई. / एमएनव्हीडीए, भोपाल	कांक्रीट मिक्सर	11	4.96
योग				92	20.30

(चोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.9
2017–18 के दौरान हानि के मामलों में सूचित की गई वसूली
 (संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 55)

(राशि ₹ में)

स.क्र.	प्रकरणों की संख्या	मुख्य शीर्षवार विवरण	दुर्विनियोग/हानि/चोरी इत्यादि का प्रकार	वर्ष से संबंधित	हानि की राशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि
1	01	2014–न्याय प्रशासन	गबन	2012-13	5,78,900	5,78,900
2	01	2014–न्याय प्रशासन	हानि	2013-14	25,900	25,900
	02			योग	6,04,800	6,04,800
3	01	2055–पुलिस	हानि	2001-02	15,500	15,500
4	01	2055–पुलिस	हानि	2002-03	20,341	20,341
5	01	2055–पुलिस	चोरी	2002-03	3,990	3,990
6	01	2055–पुलिस	हानि	2003-04	11,774	11,774
7	02	2055–पुलिस	हानि	2005-06	86,386	86,386
8	01	2055–पुलिस	हानि	2007-08	60,000	60,000
9	02	2055–पुलिस	हानि	2009-10	1,13,800	1,13,800
10	01	2055–पुलिस	हानि	2011-12	1,08,774	1,08,774
11	01	2055–पुलिस	चोरी	2011-12	25,000	25,000
12	01	2055–पुलिस	हानि	2012-13	45,000	45,000
13	01	2055–पुलिस	हानि	2013-14	2,46,070	2,46,070
14	03	2055–पुलिस	हानि	2014-15	1,85,251	1,85,251
15	01	2055–पुलिस	चोरी	2015-16	16,000	16,000
16	01	2055–पुलिस	हानि	2016-17	33,978	33,978
17	01	2055–पुलिस	हानि	2017-18	2,75,000	2,75,000
	19			योग	12,46,864	12,46,864
18	01	2202–सामान्य शिक्षा	गबन	2009-10	23,515	23,515
19	01	2202–सामान्य शिक्षा	गबन	2016-17	8,27,044	8,27,044
	02			योग	8,50,559	8,50,559
20	01	2203–तकनीकी शिक्षा	गबन	2010-11	1,03,016	1,03,016
	01			योग	1,03,016	1,03,016
21	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1979-80	24,101	24,101
22	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1981-82	675	675
23	02	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1985-86	44,946	44,946
24	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1989-90	25,410	25,410
25	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1990-91	35,704	35,704
26	04	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1991-92	22,416	20,181
27	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1994-95	10,098	10,098
28	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1995-96	16,466	16,466
29	02	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1998-99	7,084	7,084
30	03	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1999-2000	6,490	6,490
31	03	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2000-01	1,79,753	1,79,753
32	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2002-03	2,234	2,234
33	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2003-04	2,003	2,003
34	02	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2004-05	13,646	13,646
35	06	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2005-06	1,64,313	1,58,643
36	01	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2006-07	85,159	85,159

स.क्र.	प्रकरणों की संख्या	मुख्य शीर्षवार विवरण	दुर्विनियोग/हानि/चोरी इत्यादि का प्रकार	वर्ष से संबंधित	हानि की राशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि
37	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2007-08	61,787	61,787
38	02	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2008-09	13,923	3,378
39	04	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2009-10	51,589	51,589
40	09	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2010-11	1,19,919	1,19,919
41	03	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2011-12	59,586	59,586
42	02	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2012-13	4,957	4,957
43	13	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2013-14	10,06,637	10,06,637
44	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2014-15	4,499	4,499
45	09	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2015-16	27,862	27,862
46	04	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2016-17	62,588	62,588
47	217	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2017-18	6,93,367	6,93,367
	296			योग	27,47,212	27,28,762*
	320		कुल योग		55,52,451	55,34,001*

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी)

*हानि की राशि एवं वसूल की गई राशि में अंतर विभाग द्वारा आंशिक राशि के अपलेखन के कारण है।

परिशिष्ट 3.10
रोकड़ पुस्तिकाओं का अनुचित संधारण/संधारण न किया जाना
(संदर्भ: कंडिका 3.16; पृष्ठ 62)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	इकाई का नाम	रोकड़ बही के संधारण न किए जाने की अवधि	राशि जो रोकड़ बही में प्रविष्ट नहीं की गयी
1	1037/04.09.2018	जिला पंचायत, सिवनी	2016-17	1.71
2	514/01.12.2017	जनपद पंचायत, करकेली	04/2013 से 09/2017	11.64
3	582/27.12.2017	जनपद पंचायत, अमर पाटन	04/2013 से 10/2017	3.45
4	413/26.09.2017	नगर परिषद, शाहपुरा, डिण्डोरी	04/2011 से 08/2017	0.00*
5	235/07.02.2017	महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल	10/2015 से 12/2016	19.09
6	143/14.10.2016	कमाण्डेंट, 24वीं बटालियन, जौरा	04/2010 से 09/2016	1.05
7	213/29.12.2016	कमाण्डेंट, 26वीं बटालियन, गुना	12/2008 से 11/2016	10.51
8	145/04.10.2016	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), होशंगाबाद	05/2010 से 09/2016	0.69
9	04/22.04.2016	जिलाध्यक्ष, दतिया	10/2014 से 03/2016	1.03
10	179/29.11.2016	जिलाध्यक्ष, उज्जैन	05/2015 से 10/2016	3.57
11	19/06/2016-04/2017	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, डिण्डोरी	2015-16 से 04/2017	0.33
12	28-02/2016 से 07/2018	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर	06/2017	2.13
13	283/16.03.2017	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, पन्ना	2015-16	0.62
14	02/03.04.17	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, मंदसौर	2012-17	1.33
15	55/13.06.2017	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, छिन्दवाड़ा	2013-16	1.81
16	52/06.06.2017	जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, देवास	11/2009 से 02/2013	0.34
17	121/22.09.2017	संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्ति कल्याण, सागर	05/2012 से 06/2017	0.18
18	06/20.04.2017	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास एजेन्सी, सीहोर	04/2010 से 03/2017	0.45
19	81/01.08.2017	सहायक आयुक्त, श्रम विभाग, भोपाल	2014-15 से 2016-17	1.95
20	103/29.08.2017	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्याय, देवास	06/2015 से 03/2017	4.09
21	128/26.09.2017	श्रम अधिकारी, मालनपुर, भिण्ड	04/2011 से 08/2018	2.78
22	133/23.10.2017	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्याय, भोपाल	01/2011 से 09/2017	0.06
23	35/16.05.2017	जिला आपूर्ति अधिकारी, सीहोर	01/2016 से 04/2016	0.13

स.क्र.	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	इकाई का नाम	रोकड़ बही के संधारण न किए जाने की अवधि	राशि जो रोकड़ बही में प्रविष्ट नहीं की गयी
24	02/2017 से 12/2017	संभागीय वन अधिकारी (सामान्य), सीधी	02/2017 से 12/2017	16.37
25	03/2016 से 12/2017	संभागीय वन अधिकारी (सामान्य), रीवा	06/2017 से 12/2017	4.55
26	05/2016 से 04/2017	संभागीय वन अधिकारी (सामान्य), नरसिंहपुर	05/2016 से 04/2017	40.30
27	01/2014 से 06/2017	वन संरक्षक, (आर.के.एफ.), झाबुआ	05/2016 से 06/2017	7.26
कुल योग				137.42

* ₹ 27,910

परिशिष्ट 3.11

31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया हैं, में राज्य सरकार का निवेश
(संदर्भ: कंडिका 3.17; पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	प्रदत्त पूँजी	वर्ष तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लेखों को अंतिम रूप दिये जाने में विलम्ब की अवधि	वर्ष, जिसके लेखे बकाया हैं, के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गयी समता पूँजी, ऋण, अनुदान एवं प्रत्याभूति								
					समता पूँजी	ऋण	पूँजीगत अनुदान	अन्य	प्रत्याभूति				
क. कार्यशील कंपनियां													
एक वर्ष													
1	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	39.32	2016-17	2017-18	0.00	0.00	8.22	0	0				
2	उज्जैन स्मार्ट सिटी विकास कार्पोरेशन लिमिटेड	0.1	2016-17	2017-18	0	0	96	0	0				
3	भोपाल स्मार्ट सिटी विकास कार्पोरेशन लिमिटेड	200	2016-17	2017-18	0	0	100	0	0				
4	इन्दौर स्मार्ट सिटी विकास कार्पोरेशन लिमिटेड	200	2016-17	2017-18	0	0	1	0	0				
5	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	21.91	2016-17	2017-18	0	0	0	117.09	0				
6	मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड	0.69	2016-17	2017-18	0	0	0	146.31	0				
7	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	5,129.13	2016-17	2017-18	2,079.70	35.84	188.40	4,317.97	64.23				
उप—योग					2,079.70	35.84	393.62	4,581.37	64.23				
दो वर्ष													
8	मध्य प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम लिमिटेड	81.09	2014-15	2016-17 तक	0	22.16	0	0	0				
				2017-18	0	22.16	0	0	0				
9	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	10.75	2010-11	2016-17 तक	3.7	8.76	3.09	80.3	0				
				2017-18	0	0	0.59	24	0				
10	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	36.18	2003-04	2016-17 तक	6.33	0	21.77	98.5	0				
				2017-18	0	0	3.68	66.5	51				
11	संत रविदास मध्य प्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	1.26	2015-16	2016-17	0	0	17.21	0	0				
				2017-18	0	0	21.08	0	0				
12	मध्य प्रदेश व्यापार एवं निवेश फैसिलिटेशन निगम लिमिटेड	0.8	2015-16	2016-17	0	0	3.5	0	0				
				2017-18	0	0	3.15	512.4	0				
13	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	113.97	2015-16	2016-17	0	0	47.31	94.23	0				
				2017-18	0	0	49.21	0	0				

संक्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	प्रदत्त पूँजी	वर्ष जब तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लेखों को अंतिम रूप दिये जाने में विलम्ब की अवधि	वर्ष, जिसके लेखे बकाया हैं, के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गयी समता पूँजी, ऋण, अनुदान एवं प्रत्याभूति						
					समता पूँजी	ऋण	पूँजीगत अनुदान	अन्य	प्रत्याभूति		
उप-योग					10.03	53.08	170.59	875.93	51		
योग (क)					2,089.73	88.92	564.21	5,457.30	115.23		
ख. अकार्यशील कम्पनियां											
एक वर्ष-निरंक											
दो से पाँच वर्ष-निरंक											
पाँच वर्ष अधिक											
1	मध्य प्रदेश राज्य वस्त्रोदयोग निगम लिमिटेड	6.86	2011-12	2016-17 तक	0	0	4.34	0	0		
				2017-18	0	0	0	0	0		
योग (ख)					0	0	4.34	0	0		
कुल योग (क+ख)					2,089.73	88.92	568.55	5,457.30	115.23		

(घोट: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.12
लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण
(Sंदर्भ: कंडिका 3.18; पृष्ठ 64)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	निवल लाभ	संचित लाभ / हानि	शेयरधारकों का कोष	मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार लाभांश	घोषित लाभांश / किया गया प्रावधान
क. कार्यशील कंपनियां							
1	मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2016-17	33.53	156.18	159.47	6.706	7.78
2	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	63.05	281.55	320.87	12.61	12.58
3	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	2017-18	0.97	9.06	13.39	0.194	0
4	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	2017-18	0.37	1.35	6.85	0.074	0
5	मध्य प्रदेश पुलिस गृह—निर्माण निगम लिमिटेड	2015-16	13.97	54.77	59.35	2.794	0.25
6	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड	2016-17	53.44	219.97	239.97	10.688	0
7	इन्डौर स्मार्ट सिटी विकास कार्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	0.34	2	105.56	0.068	0
8	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कम्पनी लिमिटेड	2017-18	0.26	0.5	5.5	0.052	0
9	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड	2017-18	2.19	-7.24	4.88	0.438	0
10	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2016-17	6.17	22.44	44.35	1.234	0
11	संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2015-16	0.1	2.71	3.97	0.02	0
12	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड	2016-17	91.81	332.93	335.13	18.362	18.38
13	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2017-18	32.48	-234.17	2,754.52	6.496	0
14	मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	2017-18	32.73	-2,961.89	3,289.37	6.546	0
15	मध्य प्रदेश पांचिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2016-17	552.89	-9,344.81	-6,295.38	110.578	0
16	मध्य प्रदेश व्यापार एवं निवेश फेसिलिटेशन निगम लिमिटेड	2015-16	0.4	0.4	1.2	0.08	0
17	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2015-16	20.31	117.97	120.8	4.062	4.06
18	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम	2015-16	5.92	5.88	30.85	1.184	0
19	मध्य प्रदेश होटल निगम लिमिटेड	2017-18	0.42	-0.72	0.88	0.084	0
20	मध्य प्रदेश विक्रम उद्योगपुरी (उज्जैन) लिमिटेड	2017-18	1.02	6.52	119.38	0.204	0
21	मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य सेवा निगम लिमिटेड	2017-18	8.1	13.43	23.43	1.62	0
22	मध्य प्रदेश राज्य वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन	2017-18	77.9	310.22	318.28	15.58	2.58
योग (क)			998.37	-11,010.95	1,662.62	199.674	45.63

सं. क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	निवल लाभ	संचित लाभ / हानि	शेयरधारकों का कोष	मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार लाभांश	घोषित लाभांश / किया गया प्रावधान
ख. अकार्यशील कम्पनियाँ							
1	मध्य प्रदेश एएमआरएल (बिचारपुर) कोल कम्पनी लिमिटेड	2017-18	0.07	-6.28	-5.28	0.014	0
2	मध्य प्रदेश जै. पी. कोल फील्ड्स लिमिटेड	2017-18	0.01	-9.63	0.37	0.002	0
	योग (ख)		0.08	-15.91	-4.91	0.016	0
	कुल योग (क+ख)		998.45	-11,026.86	1,657.71	199.69	45.63

(स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)